छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000

दसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 30 मार्च 2010

समय : दोपहर 2.30 बजे

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007
दूरभाषः (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594
E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in Website : www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/सह./2010/4819 रायपुर दिनांक 17/03/2010

प्रति,

1. **माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
2. **श्री संगेसिंग वट्टी, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम पो धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.
3. **श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम अछोली, पो अछोली, पो. आमगांव, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.
4. **श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम मुड़ीझरिया, पो मुड़ीझरिया, पो. पतरापाली,तह. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.
5. **श्री पुनीत राम सिन्हा,** संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम- छेल डोगरी, पो डोगरी, पो. गोहरापदर, थाना व तह. मैनपुर, जिला रायपुर
6. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
7. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली-110016
8. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
10. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
11. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
12. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
13. **मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
14. **श्री सतीश पाण्डेय,** विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
15. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.
16. **श्री बलभद्र सिंह ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर, **संघ प्रतिनिधि**, पता-ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर

17. **श्री रामनारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर

18. **श्री रविशंकर गोड़,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम सरेकेल पोस्ट तुरेंगा जिला महासमुंद

19. **श्री आलोक सिन्हा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट नगरी

20. **श्री तीजम सिंह मरावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम ठरकपुर, पोस्ट जुहली जिला बिलासपुर

21. **श्री दयाल सिंह यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर

22. **श्री नृपत सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा

23. **श्रीमती मानकुंवर राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयढ़

24. **श्री अक्षय कुमार अग्रवाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतरी, तह.कटघोरा, जिला कोरबा

25. **श्री उधोराम कश्यम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा

26. **श्री चुन्नीलाल साहू,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- मुकमा पोस्ट किशोरा, जिला जांजगीर चांपा

27. **श्री गंगाराम ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग

28. **श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम खमपुर, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव

29. **श्री पंचराम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्रम व पोस्ट कुकदुर, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम

30. **श्री केदारनाथ साहिनी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट माड़पाल

31. **श्री सुकमन सोढ़ी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम डारापार, तह.भैरंगढ़, जिला बीजापुर

32. **श्री कवासी रमेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला.द.ब.दंतेवाड़ा

33. **श्री नीलम गनपत,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम-गुलापेंट्रा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि.-बीजापुर

34. **श्री सुकदास शारदूल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव जिला बस्तर

35. **श्री हेमंत शांडिल्य,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम सुरडोंगर, पोस्ट तह.केशकाल, जिला बस्तर

36. **श्री प्रेमलाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम बेनूरू, पोस्ट बैनूर, जिला नारायणपुर

37. **श्री दिवाकर बैरागी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम पी.व्ही.39 पोस्ट पी.व्ही.38 तह.पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर

38. **श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर

39. **श्री कृष्ण मुरारी यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम गाजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा

40. **श्री करमदेव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा

41. **श्री रामराज सिंग,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम चरखर पो. सिंगरौली तह. भरतपुर जिला कोरिया

42. **श्री रामस्वरूप यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम खैरापार, पोस्ट खम्हरिया, तह.बगीचा, जिला जशपुर

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की दसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2010 की सूचना ।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनो./सह./2010/3764 दिनांक 26.02.2010

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की दसवीं **वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2010 दिन मंगलवार** को व्ही.आई.पी. क्लब, खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर **में** अपरान्ह 2.30 बजे **से आयोजित की सूचना दी गई है** । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के सदस्यों अर्थात प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियन से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है ।

कार्यसूची

विषय क्रमांक - 1 **नवमीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

विषय क्रमांक - 2 **वित्तीय वर्ष 2009-10 में किये गये कार्यों का विवरण ।**

विषय क्रमांक - 3 **वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन**

विषय क्रमांक - 4 **वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बजट की स्वीकृति ।**

विषय क्रमांक - 5 **वित्तीय वर्ष 2008-09 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।**

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

नोटः- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात अपरान्ह 3.00 बजे से पुनः उसी स्थान पर साधारण सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-

कार्यकारी संचालक (स्थापना/विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की दसवीं वार्षिक आमसभा में उपस्थित संघ के संचालक मण्डल के माननीय सदस्यों एवं जिला यूनियनो से आये संघ प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ । सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ सहकारिता के त्रिस्तरीय ढाँचे में शीर्ष संस्था के रूप में अपनी 32 जिला यूनियनों एवं 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से शासन की नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा समाज के अन्य गरीब वर्ग के आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नति को पुनीत उद्‌देश्य मानकर कार्य कर रहा है ।

संग्रहण सीजन 2009 में 14.67 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसका विक्रय मूल्य रू. 256.41 करोड़ है ।

संग्रहण वर्ष 2010 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्तें की अनुमानित मात्रा 16.39 लाख मानक बोरा का अग्रिम निर्वतन किया जा चुका हैं । इसके विक्रय से लगभग रूपये 357.67 करोड़ की राशि प्राप्त होगी । पूर्व के वर्षों की घाटे की राशि के समायोजन के पश्चात लगभग 195 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है, जिससे संग्राहकों को लगभग रूपये 156 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है । तेन्दूपत्ता के व्यवसाय में आशातीत सफलता के लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से लाभ का विभाजन निम्नानुसार किया जावे :-

क. 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को ''प्रोत्साहन पारिश्रमिक'' के रूप में वितरित की जाये ।

ख. 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

ग. शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

उपरोक्त निर्णयानुसार वर्ष 2008 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत की राशि रू. 63.95 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण हेतु जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है ।

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु रू. 12.32 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष राशि रू. 4.10 करोड़ का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी है । तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) लगभग रूपये 122 करोड़ की राशि उपलब्ध है जिसका विभाजन शासन निर्णय अनुसार लाभ का विभाजन किया जावेगा ।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की जावेगी । इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रूपये 10 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है । रूपये 105.00 प्रति जोड़ी की दर से लगभग 13.741 लाख जोड़ी चरणपादुका क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । हमारा यह प्रयास हैं कि वर्षा ऋतु के पूर्व तक तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चरणपादुका का वितरण कर दिया जाए ।

राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2006-07 में यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना, जिसकी लागत रूपये 21.20 करोड़ है, प्रारंभ की गई है । इस हेतु अभी तक रूपये 12.72 करोड़ का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है । इस राशि से लघु वनोपज का संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य, जैसे कि संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राईजेस स्थापना, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं । इससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त हो रही है ।

वर्ष 2009-10 में स्व-सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन किये जाने का कार्य संघ द्वारा किया गया है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि से माहुल पत्ता, इमली, आंवला, वनौषधि आधारित माइक्रोइंटरप्राईजेस स्थापित किये गये हैं । समस्त 6 वन वृत्त मुख्यालय पर स्थापित NWFP मार्ट तथा विभिन्न जिला यूनियनों में स्थापित 43 संजीवनी के माध्यम से लघु वनोपज के उत्पादों के विक्रय का कार्य किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद के प्रचार-प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग, एस.एम.एस. एवं टेलीविजन चैनलों के माध्यम से ब्रांड प्रमोशन का कार्य किया जा रहा है । क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1901 संग्राहकों को विनाश विहीन विदोहन एवं माहुल पत्ता प्रसंस्करण, माहुल फूल संग्रहण एवं प्रसंस्करण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है । अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त 32 करोड़ रूपये की राशि से प्रदेश में 6 क्लस्टर चिन्हित कर लघु वनोपज आधारित बड़े प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं । ट्रायफेड नईदिल्ली की सहायता से माहुल फूल के संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण की योजना प्रांरभ की गई है । मुझे आशा है कि इन कार्यों से लोगों की आय के साधन में बढ़ोत्तरी होगी ।

राज्य के वनाचंल क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लाख पालन एवं प्रसंस्करण के माध्यम से आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु लघु वनोपज संघ द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गये लाख/ पालन व प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापना संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2009 में स्वीकृति प्राप्त हुयी है । जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लगभग 13000 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने की योजना है । इस परियोजना की अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक होगी । परियोजना की कुल लागत राशि रू. 14.97 करोड़ होगी । प्रथम किश्त के रूप में रू. 2.8084 करोड़ (दो करोड़, अस्सी लाख चौरासी हजार) की राशि भारत शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । उक्त परियोजना रायगढ़, कोरबा तथा जॉजगीर चांपा जिला एवं रायपुर जिला यूनियन को छोड़कर शेष जिला यूनियनों में यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में भी 7198 टन लाख उत्पादन कर छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा । वर्ष 2009-10 में लाख की खेती एवं प्रसंस्करण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 6 लाख फैसिलिटेशन केन्द्रों का निर्माण किया गया । 193 युवाओं को लाख फेसिलिटेटर के रुप में नियुक्ति कर ग्रामीणों को लाख पालन हेतु तकनीकी सहायता प्रदाय की जा रही है । राज्य के बजट में वर्ष 2010-2011 के लिये लाख विकास योजना के लिये रूपये 200 लाख का प्रावधान किया गया हैं । आगामी वर्ष में लाख की खेती एवं प्रशिक्षण के कार्य में और अधिक वृद्धि की जायेगी, ताकि लाख की खेती से ग्रामीणों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके ।

यू.एन.डी.पी. - पर्यावरण एवं वन मंत्राालय भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2010-2011 तीन वर्षो के लिये 2.5 करोड़ की जन सहयोग आधारित जैव विविधता संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना स्वीकृत की गयी है । इस परियोजना के संचालन हेतु जगदलपुर, उत्तर कोण्डागांव एवं कटघोरा वनमंडल के कुल 9365 हेक्टेयर क्षेत्रा का चयन किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत विगत वर्ष में वन एवं गैर वानिकी क्षेत्रोंा के जैव विविधता संरक्षण के कार्य, लघु वनोपज का प्रसंस्करण तथा जड़ी बूटी आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा व वनौषधालय की स्थापना के कार्य किये गये हैं । पारम्परिक वैद्यों के द्वारा जड़ी बूटी आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित ईथनोबॉटनिकल सर्वे का कार्य परियोजना की विशेष उपलब्धि हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना दिनांक 01.05.07 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनके द्वारा वर्ष 2007 या 2008 में तेन्दूपत्ता तोड़ा गया है । जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2009-10 में माह जनवरी तक 4226 दावा प्रकरणों की राशि रूपये 8.81 करोड़ स्वीकृत की गई है ।

इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी. आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रूपये 300/- प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है ।

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता सग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 20.65 लाख संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह जनवरी तक 4136 दावा प्रकरणों की निराकरण कर राशि रूपये 1.97 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

संघ के कार्यों के संपादन हेतु अमले की कमी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा सतत प्रयास किये गये है । संघ के स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति के पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गई । दिसम्बर 97 से संघ में लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 29 श्रमिकों का संदेशवाहक के पद पर शासन से प्राप्त सांख्येत्तर पद पर नियमितीकरण किया गया है । डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पदों को नियमित पद की स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के उपरांत सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा मंडल को सहमति हेतु लेख किया गया है । अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड -3 के 1 तथा संदेशवाहक के 2 पदों पर सीधी भर्ती से विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है ।

आभार

यह संघ लघु वनोपज तथा वनौषधियों के विकास, संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों से लगभग 13.75 लाख लघु वनोपज संग्राहक परिवारों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हुये पूर्ण सक्षमता से अग्रसर है । मैं राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः आप सभी उपस्थित संघ के संचालक मंडल के माननीय सदस्यगणों, जिला यूनियनों से आए प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । आभार की इस कड़ी में मैं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, वन विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं संघ के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े उन सभी वर्ग के सदस्यों एवं संस्थाओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । साथ ही यह अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी मैं आप सभी से इसी प्रकार सहकार भावना के साथ कर्तव्यनिष्ठा एवं सेवा भाव की अपेक्षा रखता हूँ ।

जय सहकार । जय छत्तीसगढ़ ।

(मुरारी लाल सिंह)
अध्यक्ष

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	नवमीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-7
2.	वित्तीय वर्ष 2009-10 में किये गये कार्यों का विवरण ।	8-41
3.	वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन	42-47
4.	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बजट की स्वीकृति ।	48-54

<u>विषय क्रमांक - 1</u>

विषय : नवमीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की नवमीं वार्षिक आम सभा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट के समीप, व्ही.आई.पी.क्लब, खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर में दिनांक 13.03.2009 को अपरांह 2.30 में प्रांरभ की गई ।

बैठक के प्रांरभ में प्रबंध संचालक द्वारा माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्यों एवं सदस्य संस्थाओं से आये निर्वाचित संघ प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया गया । सभी संचालक सदस्यों से निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्ति उपरांत आम सभा की कार्यवाही प्रांरभ की गई ।

साधारण सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

1.	**माननीय श्री मुरारीलाल सिंह,** **अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर	अध्यक्ष
2.	**श्री सग्गेसिंग बट्टी,** **उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	उपाध्यक्ष
3.	**श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक
4.	**श्री रूपनारायण पाण्डेय,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक
5.	**श्री आर.के.शर्मा,** प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग, छ.ग. रायपुर	सदस्य
6.	**श्री कौशलेन्द्र सिंह, सचिव, प्रतिनिधि**, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, रायपुर	सदस्य
7.	**श्री पी.आर.नाईक, अपर पंजीयक, वास्ते पंजीयक**, सहकारी संस्थाएं, छ.ग., रायपुर	सदस्य
8.	**श्री अशोक मिश्रा** क्षेत्रीय प्रबंधक, ट्रायफेड, वास्ते कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, नई दिल्ली	सदस्य
9.	**श्री बलभद्र सिंह ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर	प्रतिनिधि
10.	**श्री रामनारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर	प्रतिनिधि
11.	**श्री रविशंकर गोड़,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद	प्रतिनिधि

12.	**श्री आलोक सिन्हा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी	प्रतिनिधि
13.	**श्री गंगाराम ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग	प्रतिनिधि
14.	**श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़	प्रतिनिधि
15.	**श्री पंचराम ध्रुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा	प्रतिनिधि
16.	**श्री तीजम सिंह मरावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर	प्रतिनिधि
17.	**श्री डोमन सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही	प्रतिनिधि
18.	**श्री नृपत सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़	प्रतिनिधि
19.	**श्रीमती मानकुंवर राठिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़	प्रतिनिधि
20.	**श्री अक्षय कुमार अग्रवाल**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा	प्रतिनिधि
21.	**श्री उधोराम कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा	प्रतिनिधि
22.	**श्री चुन्नीलाल साहू,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा	प्रतिनिधि
23.	**श्री रामस्वरूप यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर	प्रतिनिधि
24.	**श्री करमदेव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा	प्रतिनिधि
25.	**श्री केदारनाथ साहनी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर	प्रतिनिधि
26.	**श्री नीलम गनपत,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर	प्रतिनिधि
27.	**श्री सुकमन सोढ़ी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा	प्रतिनिधि
28.	**श्री सुकदास शारदूल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव	प्रतिनिधि
29.	**श्री हेमंत शांडिल्य,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव	प्रतिनिधि
30.	**श्री प्रेमलाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर	प्रतिनिधि
31.	**श्री दिवाकर बैरागी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर	प्रतिनिधि
32.	**श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर	प्रतिनिधि
33.	**श्री ए.के. सिंह, प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	सदस्य

नवमीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार) एवं श्री आर.सी.रैगर, कार्यकारी संचालक (स्था/विकास) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

बैठक की कार्यवाही प्रांरभ करते हुए सर्वप्रथम संघ के माननीय अध्यक्ष द्वारा अपना अध्यक्षीय उद्‌बोधन दिया गया ।

तदुपरांत सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1.	नवमीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा नवमी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
2.	वित्तीय वर्ष 2008-09 में किये गये कार्यों का विवरण ।	वार्षिक आम सभा में संघ के प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय 2008-2009 में किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत सहमति व्यक्त की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
3.	वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	प्रबंध संचालक, संघ मुख्यालय द्वारा संघ में वर्ष 2009-2010 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
4.	वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु स्वीकृत बजट पर टीप ।	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए नवमी साधारण आमसभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई ।	स्वीकृति बजट के अनुरूप कार्य संपन्न किये गये ।

5.	वित्तीय वर्ष 2000-01 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	वित्तीय वर्ष 2000-01 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आम सभा में अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
6.	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की उपविधि की कण्डिका 19, 19 (1) एवं 19 (4) में संशोधन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की उपविधि की कण्डिका 19, 19 (1) एवं 19 (4) में संशोधन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया । संशोधन के अनुमोदन की स्वीकृति नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यकारी संचालक (स्थापना/विकास) संघ से प्राप्त की जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि सहकारिता अधिनियम के अतंर्गत स्वीकृति उपरांत उक्त संशोधन के निर्वाचन सम्बंधी अंश का क्रियान्वयन संघ के आगामी संचालक मण्डल के निर्वाचन से प्रभावशील माना जाये ।	संघ की उपविधि की कण्डिका 19, 19(1) एवं 19(4) में संधोशन उपरान्त उसके अनुमोदन की स्वीकृति कार्यकारी संचालक संध द्वारा आदेश क्रमांक 06 दिनांक 05.05.2009 द्वारा दी गई ।
7.	वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के वित्तीय पत्रकों का समीक्षा एवं चर्चा उपरांत अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

अतिरिक्त विषय बिन्दु :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1.	आमसभा में यह मुद्दा उठाया गया कि मूलभूत सुविधाओं के विकास के कार्य के सम्बंध में स्वीकृति जिला यूनियन के संचालक मंडल से नहीं ली जाती है ।	इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मूलभूत सुविधाओं के विकास सम्बंधी कार्य के प्रस्ताव प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मंडल के द्वारा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को भेजे जाते हैं तथा इसकी स्वीकृति उनके द्वारा की जाती है । जिला यूनियन के संचालक मंडल की प्रत्येक बैठक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाये ।	कार्यवाही आवश्यक नहीं ।
2.	अनेक सदस्यों के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि उनको पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है ।	यह अवगत कराया गया कि संघ कार्यालय के पत्र क्रमांक/वनो/संघ/सह./2009/1896 दिनांक 07.02.2009 से संघ के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि किन बिन्दुओं पर आम सभा एवं संचालक मंडल की बैठक में चर्चा की जाये । इस पत्र की प्रति भी सभी उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी । इस पत्र में सभी महत्वपूर्ण बिन्दु जिला यूनियन के संचालक मंडल की बैठक में चर्चा हेतु सम्मिलित किये गये हैं ।	कार्यवाही आवश्यक नहीं ।

3.	कुछ सदस्यों द्वारा जिला यूनियन के अध्यक्षों को वाहन सुविधा का भी मुद्दा उठाया गया ।	इस सम्बंध में उनको पूर्व के निर्देशों से अवगत कराया गया तथा यह भी बताया गया कि संशोधित वाहन सुविधा के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं ।	संघ के संचालक मण्डल की 34 वीं बैठक दिनांक 29.12.2008 के प्रस्ताव क्रमांक 34:10 के अनुरूप तथा तत्संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा जिला यूनियन के अध्यक्षों के लिये एक वर्ष में 100 दिवस वाहन के उपयोग की स्वीकृति उपरान्त आदेश क्रमांक 8860 दिनांक 03.08.2009 जारी किया जा चुका है ।
4.	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, जिला यूनियन एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के उपविधि में संशोधन बाबत् ।	सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, जिला यूनियन एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के उपविधि में संशोधन किया जाना विचाराधीन है । आदर्श उपविधियॉ संघ की वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई है तथा सभी से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं । अतः संघ प्रतिनिधि अपना सुझाव लिखित में संघ मुख्यालय को प्रेषित कर सकते हैं ।	वनोपज से संबंधित तीनों स्तर की संस्थाओं की आदर्श उपविधियां संघ के वेबसाईट में प्रदर्शित की गई थी । परंतु उसमें संशोधन किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है । संघ मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी संघ से भी वन से संबंधी आदर्श उपविधियां मंगाई गई है । जिनका परीक्षण किया जा रह है ।
5.	कुछ सदस्यों के द्वारा बोनस वितरण एवं मूलभूत सुविधा की राशि संघ मुख्यालय से उपलब्ध न कराई जाने के सम्बंध में भी जानकारी दी गई ।	सदस्यों को अवगत कराया गया कि संग्रहण वर्ष 2007 के कुछ क्रेताओं के द्वारा विक्रय मूल्य की राशि जमा नहीं की गई है, इस कारण बोनस वितरण तथा मूलभूत सुविधा हेतु राशि	कार्यवाही आवश्यक नहीं ।

		उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।	
6.	संघ के संचालक सदस्यों एवं प्रतिनिधियों की समस्याओं के संदर्भ में ।	माननीय अध्यक्ष, संघ के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी समस्याएँ सदस्यों के समक्ष आती हैं, उनको वे किसी भी समय मुझको लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा नियमानुसार उस विषय पर संघ के संचालक मंडल तथा शासन में विचार किया जायेगा ।	संघ अध्यक्ष के मार्फत सदस्यों से संबंधित प्राप्त समस्याओं का संघ स्तर पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही कर निराकरण किया जावेगा ।
7.	जिला यूनियन स्तर पर समस्या / शिकायत के संदर्भ में ।	जिला यूनियन स्तर पर यदि कोई समस्या या शिकायत है तो उसको लिखित रूप में सदस्यों को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को दिया जाना चाहिए, तथा यदि सदस्य आवश्यक समझें तो संघ कार्यालय को भी प्रेषित कर सकते हैं ।	कार्यवाही आवश्यक नहीं ।

अन्त में प्रबंध संचालक द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई ।

<u>विषय क्रमांक - 2</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2009-10 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **<u>परिशिष्ट 'क'</u>** में दर्शाई गई है । दिसम्बर 97 तक से संघ में लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 29 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का संदेशवाहक के पद पर शासन से प्राप्त सांख्येत्तर पद पर नियमितीकरण किया गया है ।

डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पदों को नियमित पद की स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के उपरांत सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा मंडल को सहमति हेतु लेख किया गया है । अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड -3 के 1 तथा संदेशवाहक के 2 पदों पर सीधी भर्ती से विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है ।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना दिनांक 01.05.07 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होगी । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2009-10 में माह जनवरी तक 4226 दावा प्रकरणों की राशि रूपये 8.81 करोड़ के दावा राशि स्वीकृत की गई है ।

इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी. आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रूपये 300/- प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । वर्ष 2009-10 में प्रीमियम की राशि रूपये 10,01,95,000/- भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर को भुगतान किया गया ।

(iii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता सग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 21 लाख संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा

दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नही करना पडता है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में समस्त देय प्रीमियम की राशि रूपये 1,67,80,144/- का भुगतान संघ द्वारा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह जनवरी तक 4136 दावा प्रकरणों का निराकरण कर राशि रूपये 1.97 करोड का भुगतान किया गया है ।

(iv) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 के 85 लाटों की मात्रा 1.33 लाख मानक बोरा विक्रय मूल्य रु. 25.55 करोड़, क्रेताओं द्वारा जमा न कराये जाने के कारण उनका क्रेता करारनामा निरस्त कर उक्त लाटों का पुनः निर्वर्तन की कार्यवाही की गई अब तक 9 निविदाओं/नीलामों में 74 लाट, मात्रा 1.18 लाख मानक बोरा रु. 8.69 करोड़ में पुनः विक्रय किया गया तथा इसमें से 5 लाटों की मात्रा 7788.623 मानक बोरा क्रेता द्वारा पुनः छोड़ दिया गया है । इसमें से 4 लाटों की मात्रा 5592.473 मानक बोरा का विक्रय तीसरी बार किया गया है । इन 73 लाटों को पूर्व में विक्रय मूल्य एवं पुनः विक्रय मूल्य में अंतर की राशि संबंधित लाटों के प्रथम क्रेता से वसूली की कार्यवाही की जा रही है । शेष 12 लाटों की 0.16 लाख मानक बोरा मात्रा के निर्वर्तन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 2008 संग्रहण काल में 13.78 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया इस प्रकार कुल संग्रहित 13.78 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विक्रय मूल्य रू. 197.62 करोड़ प्राप्त हुआ तथा औसत विक्रय दर रू. 1433.88/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । समस्त संग्रहित मात्रा का विक्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है ।

वर्ष 2009 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण कराया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में भी विगत वर्षों की भाँति वर्ष 2009 में भी तेन्दूपते संग्रहण नहीं किया गया है । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 650/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 17.93 लाख मानक बोरा के विरूद्ध अच्छी गुणवत्ता का 14.67 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल में कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन में कमी हुई । अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 14.67 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रू. 256.41 करोड़ हैं । अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रू. 1748.37/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार अग्रिम विक्रय का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है । तेंदूपत्ता कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान संघ की ओर से किया जाता हैं ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2010 में लगभग 16.39 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । उक्त तेन्दूपत्ता के अग्रिम में निवर्तन हेतु दिनांक 03.01.2010, 19.01.2010 एवं 02.02.2010 को निविदायें आमंत्रित की गई । उक्त तिथियों में प्राप्त निविदाओं में

अनुमानित मात्रा 16.39 लाख मानक बोरा रू. 357.67 करोड़ में विक्रय किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रू. 2182/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ग'** में संलग्न है ।

(v) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2009 में संग्रहित होने वाले सालबीज अग्रिम निर्वर्तन में प्रदेश की 38 इकाईयों में की अनुमानित लक्ष्य 3.65 लाख क्विंटल था । इन 38 इकाईयों में से 37 इकाईयों की अनुमानित 3.60 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम में विक्रय हुआ था । अग्रिम विक्रय में सालबीज की औसत विक्रय दर रूपये 1,071 प्रति क्विंटल रही थी । उत्तर कोण्डागांव जिला यूनियन की 1 इकाई का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो सका था । इस वर्ष अत्यधिक विलम्ब से मानसून की वर्षा आने के कारण तथा मानसून पूर्व वर्षा न होने के कारण अनुमान से बहुत अधिक 8.86 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ । अग्रिम विक्रित क्रेताओं द्वारा सालबीज का अधिक संग्रहण होने के कारण, संम्भवतः बाजार में मांग में कमी के कारण तथा संभवतः बाजार भाव में गिरावट के कारण अधिकतर क्रेताओं द्वारा क्रेता करारनामे की शर्तो के अनुरूप क्रय मूल्य की राशि जमा कर सालबीज का परिदान नही लिया गया । अग्रिम बिक्रित इकाईयों में संग्रहित 8.78 लाख क्विटल के विरूद्ध अभी तक मात्रा 1.91 लाख क्विंटल सालबीज का 5 अग्रिम विक्रित क्रेताओं में से 2 के द्वारा ही क्रय मूल्य जमा कर पूर्ण परिदान लिया गया ।

क्रेताओं द्वारा नही उठाये जा रहे सालबीज की लगभग 6.87 लाख क्विंटल मात्रा एवं अविक्रित इकाई में संग्रहित मात्रा 0.08 लाख क्विंटल हेतु वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 12.08.2009 में लिये निर्णय अनुसार Markfed से पुराने बोरे क्रय कर सुरक्षित भण्डारण करने के निर्देश समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को संघ के पत्र क्रमांक 10129 दिनांक 10.09.2009 द्वारा जारी किये गये ।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार भंडारित मात्रा 6.70 लाख क्विंटल एवं अविक्रित इकाई में संग्रहित मात्रा 0.08 लाख क्विंटल कुल 6.78 लाख क्विंटल के निर्वर्तन हेतु दिनांक 10.12.2009, 18.01.2010 एवं 18.02.2010 को निविदाऐं आमंत्रित की गई थी । जिसमें 20 लाटों की 1.98 लाख क्विंटल मात्रा रु. 510/- प्रति क्विंटल की औसत दर पर रूपये 10.08 करोड़ में विक्रित किया गया । शेष मात्रा के वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्रिम विक्रित क्रेता करारनामा समाप्त इकाईयों में क्रेताओं द्वारा 6.95 लाख क्विंटल में से 6.78 लाख क्विंटल का भण्डारण हुआ है एवं शेष मात्रा के भण्डारण का कार्य किया जा रहा है । लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 'घ'** में संलग्न है ।

संग्रहण वर्ष 2009 के सालबीज संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान रू. 1000/- प्रति क्विंटल की दर से कुल रूपये 88.60 करोड़ किया गया ।

(vi) हर्रा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में क्रेता द्वारा तथा अग्रिम में अविक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है ।

वर्ष 2008-09 में 41830.91 क्विंटल हर्रा, 3084.42 क्विंटल कचरिया एवं 15.70 क्विंटल बालहर्रा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से अब तक 41817.98 क्विंटल हर्रा, 3084.42 क्विंटल कचरिया एवं 15.70 क्विंटल बालहर्रा विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 2.15 करोड़ हैं । 12.93 क्विंटल हर्रा विक्रय हेतु शेष हैं ।

संग्रहण वर्ष 2009-10 में कुल 39 इकाईयों में से 21 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर हर्रा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2009-10 में हर्रा की संग्रहण दर रु. 375/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 937.50 प्रति क्विंटल तथा बाल हर्रा की रूपये 2625/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं । वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट 'ड़', एवं 'च'** में संलग्न प्रेषित है ।

(vii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वृक्षों में पुनरूत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है । वर्ष 2008-09 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रू. 15400/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रू. 11000/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है । संग्रहण वर्ष 2008-09 में प्रथम श्रेणी के 863.53 क्विंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 0.66 क्विंटल गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहण किया गया । गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहित मात्रा का निर्वर्तन अग्रिम क्रेता नियुक्त कर कुल रू. 140.01 लाख में किया गया है । औसत विक्रय दर रू. 16201/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2009-10 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रू. 17000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 11000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों को अग्रिम में निवर्तित किया गया हैं । वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज'** में संलग्न है ।

(viii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2008-09 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 8 इकाइयों में 195.00 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 365.00 क्विंटल खैर/बबूल गोंद संग्रहण किया गया । वर्ष 2008-09 हेतु संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

1. खैर/बबूल - 1650/- प्रति क्विंटल
2. धावड़ा - 2750/- प्रति क्विंटल

संग्रहित 195.00 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 365.00 क्विंटल खैर/बबूल गोंद का विक्रय रू. 12.21 लाख में किया जा चुका है ।

संग्रहण वर्ष 2009-10 में कुल 21 इकाईयों में से 11 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ'** में संलग्न है ।

(ix) वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 में कुल 17.18 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि रूपये 115.61 करोड़ 727 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा राशि रूपये 113.22 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई । शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य प्रगति पर है । संग्रहण वर्ष 2007 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण **परिशिष्ट 'ट-1'** में संलग्न हैं ।

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 में कुल 13.78 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से लाभ का विभाजन निम्नानुसार किया जावे :-

क. 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को ''प्रोत्साहन पारिश्रमिक'' के रूप में वितरित की जाये ।

ख. 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

ग. शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

उक्त निर्णय अनुसार वर्ष 2008 के तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 63.95 करोड़ 743 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य किया जा रहा है । संग्रहण वर्ष 2008 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण **परिशिष्ट 'ट-2'** में संलग्न हैं ।

(x) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं । वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यो पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ठ'** में संलग्न है ।

(xi) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं । इस योजना के तहत वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण ।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों में बांस रोपण ।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हैरा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 15.84 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ड'** में संलग्न है ।

(xii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से किया जा रहा हैं । इस हेतु जिला यूनियनों में पदस्थ उप प्रबंध संचालक, लेखापाल एवं सहायक को संघ मुख्यालय में 3 दिवसीय लेखा तथा लेखा को टैली के माध्यम से लेखांकन करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही हैं, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ

हैं । संघ के वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ का लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं ।

(xiii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं । उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(xiv) ई-मनी ट्रान्सफर -

वनोपज संघ के स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं पंजाब नेशनल बैंक में संधारित खातों में वनोपज के क्रेताओं द्वारा किसी भी स्थान से ई-मनी ट्रान्सफर कराने की व्यवस्था विगत वर्ष में लागू की जाकर वित्तीय वर्ष 2008-09 में वनोपज संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में संधारित खातों में भी ई-मनी ट्रान्सफर करने की व्यवस्था लागू की गई । इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुये अब सभी जिला यूनियनों में कोर बैंकिंग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते में राशि सीधे जमा कराई जा रहीं है ।

इसी प्रकार जिला यूनियनों को संघ द्वारा विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अग्रिम के रूप में राशि RTGS / DD के रूप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती थी । जिला यूनियन उक्त राशि को किसी बैंक में जमा कराकर उस खाते से धनादेश द्वारा सीधे व्यय करते थे अथवा समितियों एवं अन्य अधिकारियों/कार्मचारियों को अग्रिम देते थे । इस व्यवस्था में राशि भेजने मे विलम्ब होता था, साथ ही बड़ी मात्रा में राशि जिला यूनियनो के विभिन्न खातों में अनुपयोगी पड़ी रहती थी जिससे संघ को अनावश्यक रूप से ब्याज की हानि होती थी । वर्ष 2009-10 में उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है । नवीन व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर मंत्रालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में संघ का खाता क्रमांक 30735345823 खोला गया है, इस खाते से राशि आहरण के अधिकार सभी जिला यूनियनों को प्रदान की गई है जिसके लिए संघ द्वारा जिला यूनियनों को धनादेश पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जाती है ।

(xv) चरणपादुका का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष के भांति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित करने का निर्णय लिया गया था । फलस्वरूप वर्ष 2009-10 में 13.22 लाख जोड़ी चरणपादुकाएँ रूपये 52.98 प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की जा रही है, जिला यूनियनवार उपलब्ध कराई गई चरणपादुका की क्रय एवं वितरण की जानकारी **परिशिष्ट-ढ'** में संलग्न है । इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 10.00 करोड़ की राशि संघ को उपलब्ध करायी गयी थी ।

शासन निर्णय अनुसार इस वर्ष की भांति ही आगामी वर्ष भी प्रदेश के लगभग 13.741 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुकाएँ उपलब्ध कराने हेतु चरणपादुकाएँ क्रय करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित की गयी, जिसमें रूपये 105.00 प्रति जोड़ी की न्यूनतम दरें प्राप्त हुई, जिनके आधार पर निम्न 05 प्रदायकर्ताओं से उक्त दर पर चरणपादुकाओं को क्रय हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/Fed/Shoes/2010/2859 दिनांक 08.02.2010 द्वारा क्रय आदेश जारी किया गया है ।

क्रमांक	प्रदायकर्ता का नाम	आदेशित मात्रा (लाख में)
1	मेसर्स अजय प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली	2.002
2	मेसर्स सैमसन्स पोलिमर्स प्रा.लि.,साहिबाबाद गाजियाबाद	3.063
3	मेसर्स चरणपादुका इंडस्ट्रीज लि. बहादुरगढ़	2.554
4	मसर्स एम.बी.रबर प्रा.लि. साहिबाबाद	3.063
5	मसर्स डायमण्ड फुटकेयर उद्योग प्रा.लि. नई दिल्ली	3.059
योग		**13.741**

उक्त चरणपादुकाओं के क्रय हेतु शासन द्वारा वनोपज संघ को रूपये 10.00 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है । क्रय की जा रही उक्त चरणपादुकाओं का वितरण वर्ष 2010-11 में किया जावेगा ।

(xvi) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

वर्ष 2009-10 में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 856 समिति प्रबंधको का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराया गया, जिसमें प्रबंधक की सामान्य मृत्यु पर रू. 25,000/- तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रू. 50,000/- उनके आश्रितों को उपलब्ध हो सके । प्रबंधकों के बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ

मुख्यालय द्वारा किया गया । वर्ष 2010-11 के लिये जिला यूनियन से प्राप्त सूची अनुसार 855 समिति प्रबंधकों का समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा का नवीनीकरण का प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित किया जा चुका है ।

(xvii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों का सहकारी प्रशिक्षण -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 30 अध्यक्षों को भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली द्वारा वन सहकारी समितियों में श्रम सहयोग एवं वन श्रमिक सहकारिता के विकास हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 03.11.2009 से 06.11.2009 तक दिया गया ।

(xviii) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य में अकाष्ठीय वनोपज से समृद्व वन क्षेत्रों का संवर्धन करने हेतु **''लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना''** की जा रही है । राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान से 5958 हेक्टेयर में कुल 6 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं संघ मद से प्राप्त राशि से 5000 हेक्टेयर में 5 लोक संरक्षित क्षेत्रा की स्थापना वर्ष 2009-10 में की गयी है । इसके अतिरिक्त विगत दो वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के 13923 हेक्ट. क्षेत्राफल में रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे है । वर्ष 2009-10 में परियोजना के लिये संघ मद से रू. 198.00 लाख एवं आदिवासी उपयोजना मद से रू. 108.00 लाख की राशि प्राप्त हुयी है । परियोजना अंतर्गत मूल्यवान अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के अन्तः स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा स्थानीय ग्रामीणों व कर्मचारियों की क्षमता विकास आदि जैसे कार्य संपादित किये जा रहे है ।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज के संग्रहण करने हेतु 51 प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की गई हैं । स्व-सहायता समूह उपरोक्त दरों पर कच्ची लघु वनोपज क्रय करने के पश्चात नजदीकी NWFP मार्ट में विक्रय कर राशि प्राप्त करना है । इसके अतिरिक्त उन्हें परिवहन व्यय भी देय होता है । इस कार्य में संबंधित प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक के सहयोग करने पर उन्हें संग्रहण दर का 0.5 प्रतिशत कमीशन देय होता है । इस प्रकार संग्रहित कच्चे लघु वनोपज को NWFP मार्ट स्तर पर ग्रेडिंग कर निश्चित दर पर विक्रय किया जा रहा है । इससे संग्राहकों को उचित मूल्य मिलने के साथ ग्राहकों को उच्च्य गुणवत्ता की लघु वनोपज उचित दर पर उपलब्ध हो रही है । लघु वनोपज का निनाश विहीन विदोहन पद्वति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु समय-समय पर हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

2.2 लाख विकास

वर्ष 2009-10 में लाख विकास योजना बजट मद में राशि रु0 250.00 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर कई परियोजनायें प्रारंभ की गयीं । 193 ग्रामीण युवाओं को लाख पालन में प्रशिक्षित किया जाकर फिल्ड फेसिलिटेटर के रुप कार्य लिया जा रहा है । जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, विलासपुर एवं सरगुजा में लाख फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ ग्रामीणों केा अच्छी तकनीक से लाख खेती के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है तथा राज्य में लाख खेती के पालन संबंधित गतिविधियों को अपेक्षित गति देने में भी हितग्राहियों को सहायता दी जा रही है । खैरागढ़ जिला यूनियन के साल्हेवारा में दो केन्द्रों पर 20-20 लाख रुपये की लागत से दो लाख पालन के माईक्रोइंटरप्राइजेस संचालित किये जा रहे हैं । कांकेर में राज्य स्तरीय लाख विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं रायपुर में राज्य स्तरीय लाख गुणवत्ता जॉच केंद्र की स्थापना हेतु क्रमशः राशि रु. 10.00 लाख एवं राशि रु. 5.00 लाख संबंधित जिला यूनियन को प्रदाय किया गया है ।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

राज्य में बहुतायत में माहुल पत्ता का उत्पादन होता है । पूर्व में माहुल पत्ता को संग्रहण कर सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था । स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 20 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है । इस वर्ष लगभग रूप 17.00 लाख मूल्य के दोना पत्तल निर्माण कराया जाकर बिक्री किया गया है ।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता की शहद बहुतायत में प्राप्त होती है । शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में संग्राहको से सीधे शहद क्रय किया जाता है ।

राज्य में शहद संग्रहण कर प्रसंस्करण करने हेतु बिलासपुर एवं जशपुर नगर में क्रमशः 1000 क्विंटल तथा 500 क्विंटल क्षमता वाले 2 प्रसंस्करण केन्द्र पूर्व से संचालित है । विगत वर्ष में जिला यूनियन कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर (परियोजना लागत रू. 25.00 लाख) में दो शहद प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इसकी स्वीकृति क्रमशः समविकास योजना तथा बस्तर विकास प्राधिकरण द्वारा हुआ है । शहद का उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु लगभग 1500 संग्राहकों को प्रशिक्षित कर इन्हे डंकप्रूफ ड्रेस एवं अन्य उपकरण प्रदाय किये गये हैं ।

2.5 इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

बस्तर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की इमली बहुतायत में पाई जाती है । नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कुल संग्रहित 30218 क्विंटल आटी इमली का निविदा द्वारा राशि रू. 2.57 करोड़ पर निवर्तन किया गया है । भारत शासन की संस्था ट्राइफेड को इमली ब्रिक्स प्रदाय किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 2010 सीजन में अधिक से अधिक इमली संग्रहण तथा प्रसंस्करण करने हेतु

कुल 60000 क्विंटल इमली संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रय की गई इमली का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं	जिला यूनियन का नाम	आटी इमली (क्विंटल)	फूल इमली (क्विंटल)
1	सुकमा	41.50	9.98
2	बीजापुर	550.69	0.0
3	दंतेवाड़ा	427.69	0
	योग	**1019.88**	**9.98**
1	दक्षिण कोण्डागांव	269.75	216.35
2	उत्तर कोण्डागांव	1865.7	239.5
3	नारायणपुर	972.64	60.11
4	जगदलपुर	95.15	529.69
	योग	**3203.24**	**1045.65**
	महायोग	**4223.12**	**1055.63**

- दंतेवाड़ा जिले में संग्रहित इमली दंतेवाड़ा में स्थापित शीतगृह में भंडारित किया गया है ।

2.6 वनौषधि निर्माण

वर्तमान में कटघोरा, मरवाही जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में औषधि तैयार किये जा रहे विभिन्न हर्बल उत्पादों को स्थानीय संजीवनी केन्द्र तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा हैं । वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 40 हर्बल उत्पाद तैयार होकर विक्रय किये जा रहे हैं । वर्तमान में इन उत्पादों की उत्पादन से अधिक मांग है । इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यवाही जारी है ।

2.7 रतनजोत एवं करंज बीज का क्रय

शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर रू. 6.50 प्रति कि.ग्रा. की दर पर जट्रोफा एवं रू. 6.00 प्रति कि.ग्रा. की दर पर करंज बीज के क्रय का कार्य प्राथमिक वनोपज समिति मुख्यालय पर पूर्ण राज्य में किया जा रहा है, परन्तु बाजार भाव अधिक होने के कारण समर्थन मूल्य पर बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मात्रा धमतरी जिला यूनियन में 27.42 क्विंटल रतनजोत बीज क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है ।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्टो की स्थापना की गई है । प्रत्येक मार्ट में एक-एक थोक विक्रय केन्द्र, रिटेल विक्रय केन्द्र-संजीवनी तथा प्रसंस्करण सह पैकेजिंग केन्द्र स्थापना की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक/स्व-सहायता समूह /वन समिति /प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है । इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का विक्रय रिटेल या थोक बिक्री, संजीवनी/सेल्स एक्सीक्यूटिव के माध्यम से किया जा रहा है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग तथा एक जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । उपरोक्त NWFP मार्ट संचालन हेतु रू. 95.00 लाख कार्य पूंजी प्रदाय किए गए हैं तथा अधोसंरचना हेतु रू. 77.68 लाख प्रदाय किए गये हैं । इन मार्ट द्वारा वर्ष 2009-10 में जनवरी - 2010 तक प्राप्त प्रगति नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

क्रं.	घटक	क्रय मूल्य रू. (लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
01	कच्चे लघु वनोपज	31.15	273.88
02	हर्बल उत्पाद	65.40	86.35
	योग	**96.55**	**360.23**

- हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न जिला यूनियनों की प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों की एकरूपता के साथ पैकेजिंग, लेबलिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य किया गया है ।
- राज्य में रिटेल विक्रय बढ़ाने हेतु नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्थानों में कुल 43 संजीवनी स्थापित किए गए है ।

संजीवनी केन्द्र स्थापना प्रगति

क्र	वृत्त का नाम	स्तर			
		मार्ट स्तर पर	परिक्षेत्र/विकासखंड स्तर पर	जिला यूनियन स्तर पर	कुल
1	रायपुर	1	5	1	**7**
2	बिलासपुर	1	5	6	**12**
3	दुर्ग	1	4	2	**7**
4	कांकेर	1	1	3	**5**
5	सरगुजा	1	2	5	**8**
6	जगदलपुर	1	0	3	**4**
	योग	**6**	**17**	**20**	**43**

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत रू. 21.20 करोड़ है, तथा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होकर, वर्ष 2010-11 तक क्रियान्वित रहेगी । योजना के क्रियान्वयन हेतु रू. 301.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2006-07 में, रू. 600.00 लाख वित्तीय वर्ष 2007.08 में, रू. 162.00 लाख वित्तीय वर्ष 2008-09 में एवं रू. 209.66 लाख़ वित्तीय वर्ष 2009-10 में अर्थात कुल राशि रू. 1272.66 लाख प्राप्त हुआ है ।

इस परियोजना के अंतर्गत संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है । परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है ।

I- परियोजना का घटकवार विवरण

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

संसाधन सर्वेक्षण - परियोजना अंतर्गत राज्य में 3762 सेम्पल प्लाट डालकर वर्ष 2007 एवं 2008 में क्रमशः 2548 एवं 2654 सेम्पल प्लाटों में संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्रित किये गये हैं । प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से डाटा एनालिसिस साफ्टवेयर तैयार किया गया है । संसाधन सर्वेक्षण से प्राप्त औषधियों एवं अन्य उपयोगी पादप प्रजातियों की पहचान करने हेतु हरबेरियम तैयार किया जा रहा है । वर्तमान में लगभग 273 प्रजातियों की पहचान संघ स्तर पर किया गया है । इस हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, इलाहाबाद से तकनीकी सहायता ली जा रही है ।

हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन का परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया है । वर्ष 2008-09 में 15 स्थानों पर 344 वैद्यों का साक्षात्कार कर 2611 औषधियों की जानकारी एकत्र की गई है । इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में छः स्थानों पर 74 वैद्यों से 740 औषधियों की जानकारी अभिलेखित किया गया है । सर्वेक्षित 20 स्थानों में उपयुक्त स्थल का चयन का वनौषधालय स्थापना का कार्य कराया जा रहा है । इस हेतु रू. 2.95 लाख प्रत्येक वनौषधालय के मान से राशि संबंधित जिला यूनियनों को प्रदान क है । परंपरागत औषधियों का वैज्ञानिक प्रमाणन हेतु संघ स्तर पर चार आयुर्वेद चिकित्सकों का दल गठित कर कार्य कराया जा रहा है ।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य, प्राथमिक लघु वनोपज समिति/वन समिति/स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है । इस घटक के अंतर्गत माइक्रोइन्टरप्राइज को चार वगों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक वर्ग में किये जा रहे मुख्य कार्य एवं चयनित मुख्य लघु वनोपज संक्षेप में नीचे दशाये गए हैं ।

2.1.1 लघु वनोपज उत्पादन -

उन्नत तकनीक द्वारा लाख उत्पादन को बढ़ावा देना तथा विनाशविहीन विदोहन द्वारा शहद उत्पादन कर प्रसंस्करण करना ।

2.1.2 लघु वनोपज संग्रहण -

विनाश विहीन विदोहन प्रक्रिया से उत्तम गुणवत्ता वाली वनौषधियों/लघु वनोपज का संग्रहण करना ।

2.1.2 लघु वनोपज प्रसंस्करण -

कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण कर उन्नत तकनीक द्वारा प्रसंस्करण करना, जिसमें माहुल पत्ते से दोना एवं पत्तल तैयार करना, आटी इमली से फूल इमली तैयार करना, महुआ, कुसुम, करंज बीज से तेल उत्पादन करना तथा लाख प्रसंस्करण कार्य सम्मिलित है ।

2.1.4 लघु वनोपज विपणन -

माइक्रो इन्टरप्राइज द्वारा संग्रहित लघु वन उपज व निर्मित हर्बल उत्पाद का संजीवनी तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा है ।

माइक्रोइंटरप्राइजेसवार विवरण

क्रं	घटक	कार्य का नाम	स्वीकृत किये गये जिला यूनियन का नाम	राशि (रू. लाख में)		
				माइक्रोइंटर प्राईजेस की स्वीकृत संख्या	स्वीकृत कार्य	
					स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	उत्पादन माईक्रो इन्टरप्राइज	लाख पालन	कटघोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर, धरमजयगढ़-2 कोरबा, द. सरगुजा, कोरिया, उ.सरगुजा-2 कांकेर एवं बिलासपुर, धमतरी, उत्तर कोंडागांव, रायपुर, उदन्ती	16	307.00	208.00
		शहद संग्रहण	मरवाही, धरमजयगढ़ राजनांदगांव, कटघोरा	4	33.00	21.00
2	संग्रहण माईक्रो इन्टरप्राइज	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण	कटघोरा, दक्षिण सरगुजा, जगदलपुर, धरमजयगढ़, कोरिया, जगदलपुर, रायगढ़, सुकमा, मरवाही, कांकेर, उत्तर कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़	16	94.60	76.60
3	प्रसंस्करण माईक्रो इन्टरप्राइज	माहुल पत्ता प्रसंस्करण	धरमजयगढ़ कोरिया, कटघोरा, मननेद्रगढ़, उ. सरगुजा, द. सरगुजा, जशपुर, धमतरी, कोरबा	9	160.00	128.00
		इमली प्रसंस्करण	दंतेवाड़ा, द. कोण्डागांव, जगदलपुर, नारायणपुर	4	65.00	65.00

		महुआ/तेलीय बीज प्रसंस्करण	जगदलपुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़	3	60.00	35.00
		लाख प्रसंस्करण	कांकेर	1	20.00	20.00
		हर्बल उत्पाद निर्माण	कटघोरा, जशपुर, मरवाही	3	60.00	25.00
		आंवला प्रसंसकरण	धमतरी, उदंती, मनेन्द्रगढ़	3	30.00	25.00
		चिरौंजी प्रसंस्करण	कोरबा, सुकमा	3	30.00	30.00
		इमली कैन्डी प्रसंस्करण	जगदलपुर	1	16.00	10.00
		हर्बल खाद्य प्रसंस्करण	रायपुर	1	26.00	16.00
4	विपणन माईक्रो इन्टरप्राइज	संजीवनी केन्द्र स्थापना	रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर वि.ख. स्तर पर संजीवनी केन्द्र स्थापना	30	30.00	30.00
		अस्थाई भंडारण केन्द्र संचालन	पूर्ण राज्य	100 (प्रा.वनो.स.)	51.00	51.00
	योग				**982.60**	**740.60**

2.2 लघु वनोपज/वन उत्पाद विपणन हेतु मेलों मे भाग

छत्तीगढ़ हर्बल ब्राण्ड प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय मेलों में भाग लिया गया, जिससे उपरोक्त हर्बल उत्पादों को विशेष पहचान मिली है । इस वर्ष संघ ने निम्नानुसार मेंलों में भाग लिया ।

क्रं	मेला का नाम	स्थान	विक्रित उत्पाद (राशि रू. लाख में)
1	भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला,2009	नई दिल्ली	0.95
2	आदिम जाति कल्याण मंत्रालय (TRIFED), भारत शासन द्वारा आयोजित मेला	बैंगलूरू, हैदराबाद, नई दिल्ली	0.75
3	राज्योत्सव-2009	रायपुर	0.34
4	हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा आयोजित मेला	कोलकाता	0.11
5	आरोग्य-2009	नई दिल्ली	0.11
6	फूड एण्ड टेक्नोलॉजी	नई दिल्ली	0.05
7	कोचिन एग्री हार्टी फेयर	कोचिन	0.05
8	हैदराबाद हर्बल एक्सपो	हैदराबाद	0.07
9	स्वदेशी मेला	बिलासपुर	0.09
10	राष्ट्रीय उद्योग मेला	बिलासपुर	0.11
	योग		**2.63**

3. विपणन

माइक्रोइन्टरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु सुव्यवस्थित मार्केट व्यवस्था की आवश्यकता है । अतः इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिले में "संजीवनी" के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र की स्थापना की गयी है । साथ ही इसके अतिरिक्त विकासखंड/परिक्षेत्र स्तर पर संजीवनी विक्रय केन्द्रों की स्थापना कार्य को बढ़ावा देने के उददेश्य से जिला यूनियन बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग को 10-10 विकासखंड स्तर संजीवनी स्थापना के लिए राशि रू. 10 लाख प्रत्येक जिला यूनियन को प्रदाय किया गया है, जिससे विकासखंड स्तर पर 19 संजीवनी की स्थापना की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त हर्ब उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी समूहों को दिया गया है । उत्पादों के बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ।

रिटेल आऊटलेट (संजीवनी)

उत्पाद

3.1 मार्केट अध्ययन एवं बाजार सर्वेक्षण

अकाष्ठीय वनोपज के निर्यात के संभावना ज्ञात किये जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली से बाजार सर्वेक्षण यूरोपियन कमीशन परियाजना से कराया जा रहा है । उक्त अध्ययन लाख, शहद, इमली, बेल, आंवला, चरौटा, हर्रा, धावड़ा, बबूल, बहेड़ा, कुल्लू एवं साल प्रजातियों हेतु की जा रही है ।

4. अनुसंधान एवं विस्तार

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास कार्य संपादित करने हेतु उत्तम संग्रहण विधि, प्रसंस्करण विधि एवं नये उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है । डाबर, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज विनाश विहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता परीक्षण आदि का मानकीकरण किया गया है ।

- पलाश फूल से केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान (CFTRI) मैसूर के सहयोग से नया उत्पाद विकसित किया गया है ।
- उष्णकटीबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (TFRI), जबलपुर को निम्नानुसार अनुसंधान परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है ।

1. स्टेण्डर्डाईजेशन ऑफ सुटेबल हारवेर्स्टींग प्रेक्टिसेस ऑफ अर्जुन छाल (*Terminalia arjuna)*
2. स्टेण्डर्डाईजेशन ऑफ सुटेबल हारवेर्स्टींग प्रेक्टिसेस ऑफ भुई आंवला (*Phyllanthus*
3. प्रोसेसिंग टेकनिक्स ऑफ बेल फल *(Aegle marmelos)*
4. स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ डिफरेन्ट लेवल ऑफ द सीड कलेक्शन ऑन नेचुरल रिजनरेशन ऑफ साल (*Shorea robusta)* इन छत्तीसगढ़ ।

- भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान (IINRG), रांची, से ब्लीच लाख और एलुवरेटिक एसीड के प्रसंस्करण केंद्र हेतु तकनीकी प्राप्त किया जा रहा है ।
- राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन करना तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान (IINRG), रांची के माध्यम से राशि रू. 10.56 लाख की लागत से कराया जा रहा है । परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वीकृत व संचालित योजनाओं तथा उससे लाख उत्पादन एवं प्रसंस्करण के विकास पर प्रभाव संबंधित अध्ययन कराना एवं वर्तमान में हो रही लाख के उपयोग एवं बाजार में वृद्धि हेतु भविष्य की रणनीति तैयार कराया जाना है ।
- केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान (CFTRI) मैसूर से बेल के उत्पाद तैयार करने एवं तिखुर पर अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है ।

5. सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को विभिन्न जिला यूनियनों के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो । इस प्रणाली द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जा सकेंगे, ताकि आवश्यकतानुसार वनोपज क्रय एवं विक्रय में गति लायी जा सके ।

इसके तहत 6 वन वृत्त, 32 जिला यूनियन एवं 6 NWFP मार्ट तथा 2 शहद प्रसंस्करण केन्द्र बिलासपुर एवं जशपुर को कम्प्यूटर, इंटरनेट व टैली साफ्टवयेर की सुविधा दी गई है । इससे उत्पादन क्रय-विक्रय संबंधी जानकारी एकत्रितकरण एवं संकलन आसानी से हो सकेगा । इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों से लेखा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु टैली क्रय की गई, इसका कस्टमाईजेशन का कार्य जारी है ।

- NWFP मार्ट और शहद प्रसंस्करण केंद्र के लिए टैली कार्य का क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है ।
- जिला यूनियन में टैली उपयोग करने हेतु लिपिक अमले तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर को प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

6. प्रमाणीकरण

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित, प्रसंस्कृत लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है । इसके अंतर्गत कच्ची या प्रसंस्कृत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारण हेतु मापदंड तय किये जा रहे हैं । इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किया जाएगा । शहद, इमली तथा आंवला को आर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु चयनित किया गया है ।

7. क्षमता विकास

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में दूरगाामी परिणाम लाने हेतु प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति एवं स्व सहायता समूहों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है । इसके लिए राज्य की 915 प्राथमिक वनोपज समितियों में से उपयुक्त संसाधन एवं क्षमता के आधार पर 447 समितियों को चिन्हांकित कर, क्षमता विकास कार्य किये गये हैं । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये जायेंगे । साथ ही वन कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु भी प्रयास किये गये हैं । वर्तमान में इसके अंतर्गत संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी का भ्रमण तकनीकी संस्थान केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान (CFTRI) मैसूर, तमिलनाडु औषधि संयत्र निगम लिमिटेड (TEMPCOL) चेन्नई तथा हिमालया कंपनी द्वारा बैंगलोर में कराया गया है । इसके अतिरिक्त संघ के तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को वैद्यनाथ फार्मेसी, नागपुर तथा यूनीज्यूलस फार्मेसी, नागपुर का अध्ययन प्रवास कराया गया है ।

साथ ही राज्य स्तर पर वन अधिकारियों की बैठक, संसाधन सर्वेक्षण संबंधित विशेषज्ञों की बैठक तथा कच्चे लघु वनोपज विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण तथा प्रसंस्करण पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में 5276 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिये गये हैं । स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है । भारतीय वन प्रबंध संस्थान (IIFM) भोपाल के सहयोग से महुआ संग्रहण एवं प्रसंस्करण पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया है ।

परियोजना संबंधी अद्यतन, वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है

क्रं.	घटक	प्राप्त राशि (रू. लाख में)					व्यय (रू. लाख में)			
		Ist Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	योग	1st & 2nd year 2006-08	3rd year 2008-09	4th year 2009-10	Total
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	26.00	49.20	47.00	35.00	157.20	24.720	33.461	19.992	78.173
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	215.00	381.80	46.00	95.66	738.46	276.919	205.803	56.991	539.723
3	विपणन	17.50	40.00	58.00	33.00	148.50	4.700	39.390	30.843	75.593
4	अनुसंधान एवं विस्तार	7.00	25.00	6.00	17.00	55.00	1.520	7.530	15.433	24.483
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई. एस.)	12.50	71.00	0.00	7.00	90.50	17.180	49.740	10.860	77.78
6	प्रमाणीकरण	12.00	5.00	0.00	10.00	27.00	0.000	1.545	2.974	4.519
7	क्षमता विकास	11.00	28.00	5.00	12.00	56.00	10.230	17.590	6.918	34.738
	योग	**301.00**	**600.00**	**162.00**	**209.66**	**1272.66**	**335.269**	**355.059**	**144.011**	**835.009**

8. यू.एन.डी.पी. - वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन द्वारा स्वीकृत जैव विविधता परियेाजना

राज्य के कटघोरा जिला यूनियन में 3063.224 हेक्टेयर, जगदलपुर जिला यूनियन में 3094.165 हेक्टेयर एवं उत्तर कोंडॉगॉव जिला यूनियन में 3207.264 हेक्टेयर के मान से कुल 9364.653 हेक्टेयर जैव विविधता से समृद्ध चयनित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन तथा उस पर आधारित रोजगार सृजन करने हेतु रू. 250 लाख की लागत से तीन वर्षीय परियेाजना यू.एन.डी.पी. तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है । चयनित वन क्षेत्रों के साथ उनके आसपास आने वाले ग्रामों की सीमा के भीतर के राजस्व क्षेत्रों में जन सहयेाग से प्रमुख वानिकी एवं गैर वानिकी जैव विविधतता का संरक्षण करते हुये उनके सतत् एवं संपेाषणीय विदेाहन के आधार पर ग्रामीणों को जैव विविधतता एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित रोजगार देने वाली गतिविधियों (जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी संभव हेा सके) के विकास संबंधित परियेाजना प्रारंभ की गयी । वर्ष 2009-10 में परियेाजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों यथा संसाधन सर्वेक्षण, अंतः स्थलीय संरक्षण, परियेाजना क्षेत्रा के पारम्परिक वैद्यों के द्वारा जड़ी बूटी आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित ईथनेाबॉटनिकल सर्वे कार्य, क्षमता विकास हेतु कार्यशाला आयेाजन, वन्य प्राणियों के लिये जल स्त्रेात का विकास आदि जैसे कार्य किये गये है । इसके तहत वर्ष 2009-10 में प्रत्येक जिला यूनियन में राशि रू. 21.03 लाख के मान से मुख्यालय व्यय सहित कुल राशि रु. 75 लाख का व्यय हुआ है ।

परिशिष्ट - 'क'

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	उप वन संरक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	0	6	5	1	31	22	9	39	29	10
9	वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	15	1	14	15	1	14
10	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	200	63	137	200	63	137
11	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	आयुर्वेद चिकित्सक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित)	2	2	0	6	6	0	0	0	0	8	8	0
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	5	5	0	0	0	0	32	24	8	37	29	8
17	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
19	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	लेखा अधीक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
24	वरिष्ठ लेखापाल	5	4	1	0	0	0	0	0	0	5	4	1
25	लेखापाल	4	5	-1	6	5	1	22	21	1	32	31	1
26	कनिष्ट लेखापाल	6	5	1	0	0	0	25	11	14	31	16	15
27	सहायक वर्ग-3	9	8	1	6	6	0	33	33	0	48	47	1
28	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	वाहन चालक	6	4	2	0	2	-2	6	5	1	12	11	1
30	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	संदेशवाहक	12	11	1	12	12	0	87	77	10	111	100	11
32	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
योग		77	68	9	36	36	0	451	257	194	564	361	203

परिशिष्ट - 'ख'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2009

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	49694.259	100607774.27	2024.54
सुकमा	41	80228.747	124421422.17	1550.83
दंतेवाड़ा	13	26369.287	42181310.18	1599.64
जगदलपुर	15	30312.306	43209973.81	1425.49
दक्षिण कोंडागांव	11	26320.991	39633088.48	1505.76
उत्तर कोंडागांव	16	31606.485	49110180.97	1553.80
नारायणपुर	12	24159.365	34965652.47	1447.29
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	92961.730	194119571.91	2088.17
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84413.205	132192325.99	1566.01
कांकेर	24	31954.895	65180076.73	2039.75
राजनांदगांव	51	73256.185	131661548.51	1797.28
खैरागढ़	24	29729.290	44221745.08	1487.48
दुर्ग	18	16516.295	29887067.02	1809.55
कवर्धा	24	26500.782	41749750.38	1575.42
धमतरी	23	29975.645	59307295.47	1978.52
उदन्ती	19	24310.380	49337007.50	2029.46
पूर्व रायपुर	43	53478.495	120539781.73	2253.99
महासमुंद	69	79884.055	143706438.99	1798.94
रायपुर	16	23549.605	43629300.16	1852.66
बिलासपुर	16	17845.395	29583170.93	1657.75
मरवाही	19	25570.378	46630092.94	1823.60
जांजगीर-चांपा	7	5283.325	5935853.07	1123.51
रायगढ़	41	56914.990	97807160.80	1718.48
धरमजयगढ़	53	80890.430	164020688.42	2027.69
कोरबा	34	46571.710	99133210.61	2128.61
कटघोरा	39	67416.320	138996368.62	2061.76
जशपुर नगर	20	40227.260	58125794.82	1444.94
मनेन्द्रगढ़	20	39075.500	68073332.06	1742.10
कोरिया	16	29752.065	52101862.34	1751.20
दक्षिण सरगुजा	28	61898.905	95538249.54	1543.46
पूर्व सरगुजा	29	66506.090	87005782.15	1308.24
उत्तर सरगुजा	52	93377.650	131460380.67	1407.84
कुल योग	931	1466552.020	2564073258.79	1748.37

परिशिष्ट - 'ग'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2010

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	44700.000	28	44700.000	132935500.00	2973.95
सुकमा	41	77900.000	41	77900.000	170563900.00	2189.52
दंतेवाड़ा	13	23500.000	13	23500.000	47833100.00	2035.45
जगदलपुर	15	25500.000	15	25500.000	45123700.00	1769.56
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	11	21600.000	39936100.00	1848.89
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	16	29400.000	55871200.00	1900.38
नारायणपुर	12	21400.000	12	21400.000	41698700.00	1948.54
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	99700.000	55	99700.000	255575400.00	2563.44
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	55	84300.000	160180100.00	1900.12
कांकेर	24	41100.000	24	41100.000	99575800.00	2422.77
राजनांदगांव	51	87200.000	51	87200.000	192112000.00	2203.12
खैरागढ़	24	44900.000	24	44900.000	88818400.00	1978.14
दुर्ग	18	28800.000	18	28800.000	64074700.00	2224.82
कवर्धा	24	44400.000	24	44400.000	87016600.00	1959.83
धमतरी	23	32900.000	23	32900.000	78189800.00	2376.59
उदन्ती	19	24900.000	19	24900.000	60069300.00	2412.42
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	65500.000	176527900.00	2695.08
महासमुंद	69	101700.000	69	101700.000	225445900.00	2216.77
रायपुर	16	26900.000	16	26900.000	60765200.00	2258.93
बिलासपुर	16	24700.000	7	24700.000	49893300.00	2019.97
मरवाही	19	29300.000	28	29300.000	65531500.00	2236.57
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	7	10000.000	14415500.00	1441.55
रायगढ़	41	63900.000	41	63900.000	134317400.00	2101.99
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	84000.000	211695200.00	2520.18
कोरबा	34	54600.000	34	54600.000	140001400.00	2564.13
कटघोरा	39	78700.000	39	78700.000	200204200.00	2543.89
जशपुर नगर	20	36600.000	20	36600.000	69069700.00	1887.15
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	20	37300.000	81081200.00	2173.76
कोरिया	16	29400.000	16	29400.000	64338800.00	2188.39
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	28	67100.000	130150300.00	1939.65
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	29	71700.000	116261300.00	1621.50
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	52	125600.000	217469100.00	1731.44
कुल योग	931	1639200.000	931	1639200.000	3576742200.00	2182.00

परिशिष्ट - 'घ'

सालबीज संग्रहण वर्ष 2009 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय हेतु शेष मात्रा (क्विंटल में)
कोरिया	1	कोरिया	1500.00	26446.25	18485.49	7960.76
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	5000.00	18871.42	4397.58	14473.84
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	20000.00	44499.29	4000.00	40499.29
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	40000.00	178054.97	91579.65	86475.32
दक्षिण सरगुजा	5	दक्षिण सरगुजा	40000.00	107566.64	25204.91	82361.73
जशपुरनगर	6	अपरघाट	40000.00	70237.97	7238.04	62999.93
जशपुरनगर	7	लोअरघाट	50000.00	86629.52	21766.34	64863.18
कोरबा	8	कोरबा	20000.00	23185.41	23185.41	0.00
रायगढ़	9	रायगढ़	2500.00	6320.13	2038.00	4282.13
धर्मजयगढ़	10	धर्मजयगढ़	18000.00	49399.33	5636.02	43763.31
कटघोरा	11	कटघोरा	5000.00	21588.62	4903.72	16684.90
बिलासपुर	12	बिलासपुर	1000.00	1004.37	1004.37	0.00
मरवाही	13	मरवाही	3000.00	30881.25	11371.70	19509.55
कांकेर	14	कांकेर	3000.00	4226.98	4226.98	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	3000.00	4167.19	4167.19	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमाबेड़ा	5000.00	8715.50	7757.50	958.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीबेड़ा	1000.00	426.51	426.51	0.00
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	8000.00	22339.72	750.00	21589.72
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	7000.00	13011.37	750.00	12261.37
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	8000.00	7453.00	7453.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़ेडोंगर	5000.00	8043.16	8043.16	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	22	माकड़ी	3000.00	37226.50	37226.50	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	5000.00	8966.00	750.00	8216.00
दक्षिण कोण्डागांव	24	मुलमुला	5000.00	7477.00	7477.70	-0.70
दक्षिण कोण्डागांव	25	मर्दापाल	2000.00	3079.00	3079.00	0.00
नारायणपुर	26	नारायणपुर	10000.00	6582.32	6582.32	0.00
दंतेवाडा	27	दंतेवाडा	2000.00	262.20	262.20	0.00
जगदलपुर	28	बकावंड	8000.00	11341.00	11341.00	0.00
जगदलपुर	29	कर्पावंड	5000.00	11650.65	11650.65	0.00
जगदलपुर	30	जगदलपुर	5000.00	9629.20	9119.49	509.71
जगदलपुर	31	भनपुरी	8000.00	7821.87	7572.65	249.22
सुकमा	32	सुकमा	2000.00	3654.67	0.00	3654.67
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.00	5593.92	5593.92	0.00
उदन्ती	34	उदन्ती	5000.00	9309.38	8881.66	427.72
महासमुन्द	35	महासमुन्द	200.00	0.00	0.00	0.00
रायपुर	36	रायपुर	300.00	30.00	30.00	0.00
धमतरी	37	धमतरी	9000.00	17607.54	17534.86	72.68
कवर्धा	38	कवर्धा	1000.00	12683.83	7000.00	5683.83
योग			364500.00	885983.68	388487.52	497496.16

परिशिष्ट - 'ड़'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2008-2009 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			हर्रा (क्विंटल में)	कचरिया (क्विंटल में)	बालहर्रा (क्विंटल में)	कुल हर्रा (क्विंटल में)					
कांकेर	1	कांकेर	4289.000	0.000	0.000	4289.000	472.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	2024408.00	1637969.10
कांकेर	2	नरहरपुर	3921.000	530.540	0.000	5247.350	464.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	2434770.40	2003962.97
कांकेर	3	सरोना	1160.000	0.000	0.000	1160.000	450.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	522000.00	443004.00
कांकेर	4	कोरर	1980.000	0.000	0.000	1980.000	437.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	865260.00	756162.00
कांकेर	5	चरामा	4237.000	80.000	0.000	4437.000	441.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1956717.00	1694490.30
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	1677.430	0.000	0.000	1677.430	480.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	805166.40	640610.52
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	2531.500	0.000	0.000	2531.500	429.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1086013.50	966779.85
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	901.310	0.000	0.000	901.310	407.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	366833.17	344210.29
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	106.430	0.000	0.000	106.430	461.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	49064.23	40645.62
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2294.430	0.000	0.000	2294.430	403.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	924655.29	876242.82
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2152.230	0.000	0.000	2152.230	404.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	869500.92	821936.64
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	3723.050	0.000	0.000	3723.050	437.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1626972.85	1421832.80
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	3766.500	0.000	0.000	3766.500	401.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1510366.50	1438426.35
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	173.000	0.000	0.000	173.000	400.00	अग्रिम	मेसर्स मोहनलाल स्वरुपचन्द जैन	69200.00	66068.70
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	0.000	0.000	0.000	0.000	400.00	अग्रिम	मेसर्स मोहनलाल स्वरुपचन्द जैन	0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	500.000	0.000	0.000	500.000	429.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	214500.00	190950.00
सुकमा	17	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	12.930	0.000	0.000	12.930	0.00	गोदामीकृत		0.00	5624.55
बीजापुर	19	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
रायपुर	20	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
महासमुंद	21	महासमुंद	123.000	0.000	0.000	123.000	492.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	60516.00	46973.70
धमतरी	22	धमतरी	2237.770	1014.450	0.000	4773.895	437.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2086192.12	1823150.50
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	317.040	0.660	0.000	318.690	452.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	144047.88	138630.15
उदन्ती	24	उदन्ती	223.590	0.000	0.000	223.590	452.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	101062.68	97261.65
दुर्ग	25	दुर्ग	390.400	318.500	0.000	1186.650	431.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	511446.15	453181.64
कवर्धा	26	कवर्धा	327.000	0.000	0.000	327.000	381.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	124587.00	124881.30
खैरागढ़	27	खैरागढ़	20.000	100.000	0.000	270.000	401.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	108270.00	103113.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	3229.200	0.000	0.000	3229.200	385.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1243242.00	1233231.48
मरवाही	29	मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
कोरबा	30	कोरबा	44.000	11.000	0.000	71.500	371.00	गोदामीकृत	मेसर्स रिज़वी हर्बल	26526.50	31102.50
कटघोरा	31	कटघोरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
रायगढ़	32	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	72.000	188.000	0.000	542.000	385.00	अग्रिम	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	208670.00	206989.80
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	490.500	0.000	0.000	490.500	452.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	221706.00	213367.50
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	349.650	32.050	10.100	500.475	452.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	226214.70	217706.63
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	214.090	809.220	5.600	2276.340	417.00	गोदामीकृत	मेसर्स हर्बल लाजिस्टिक्स्	949233.78	990207.90
कोरिया	38	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	366.860	0.000	0.000	366.860	452.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	165820.72	159584.10
योग			41830.910	3084.420	15.700	49651.860				21502963.79	19188298.33

हर्रा की अनुमानित मात्रा	49651.860
विक्रित हर्रा	49638.930
अविक्रित हर्रा	12.930

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	21502963.79
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	433.19
कुल व्यय 381.90/- एवं 435/- प्रति क्विंटल	19188298.33
शुद्ध लाभ	2314665.46
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	46.63
संग्रहण मजदूरी 375/- प्रति क्विंटल	13654261.50

परिशिष्ट - 'च'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2009-2010 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
कांकेर	1	कांकेर	4000	427	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	1708000	1510000
कांकेर	2	नरहरपुर	4000	423	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	1692000	1510000
कांकेर	3	सरोना	1000	427	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	427000	377500
कांकेर	4	कोरर	3000	400	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1200000	1132500
कांकेर	5	चरामा	2500	422	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1055000	943750
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	2000	410	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	820000	755000
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	3000	405	अग्रिम	मेसर्स सुभाष मार्केटिंग	1215000	1132500
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700	385	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1424500	1396750
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	800	0			0	0
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000	400	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	800000	755000
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500	385	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	962500	943750
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	4000	401	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1604000	1510000
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	2500	381	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	952500	943750
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000	385	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	385000	377500
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	500	385	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	192500	188750
जगदलपुर	16	बस्तर	2500	0			0	0
सुकमा	17	सुकमा	100	0			0	0
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	100	0			0	0
बीजापुर	19	बीजापुर	100	0			0	0
रायपुर	20	रायपुर	100	0			0	0
महासमुंद	21	महासमुंद	1000	431	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	431000	377500
धमतरी	22	धमतरी	3000	413	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	1239000	1132500
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	200	0			0	0
उदन्ती	24	उदन्ती	500	0			0	0
दुर्ग	25	दुर्ग	500	385	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	192500	188750
कवर्धा	26	कवर्धा	100	381	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	38100	37750
खैरागढ़	27	खैरागढ़	100	501	अग्रिम	मेसर्स साई ट्रेडर्स	50100	37750
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500	385	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	577500	566250
मरवाही	29	मरवाही	250	0			0	0
कोरबा	30	कोरबा	200	0			0	0
कटघोरा	31	कटघोरा	200	0			0	0
रायगढ़	32	रायगढ़	100	0			0	0
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	250	0			0	0
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	100	0			0	0
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100	0			0	0
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	250	0			0	0
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	500	381	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	190500	188750
कोरिया	38	कोरिया	300	0			0	0
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	500	0			0	0
योग			49050				17156700	16006000

हर्रा की अनुमानित मात्रा	49050.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	17156700.00
विक्रित हर्रा	42400.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	404.64
अविक्रित हर्रा	6650.000	कुल व्यय 377.50/- एवं 435/- प्रति क्विंटल	16006000.00
		शुद्ध लाभ	1150700.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	27.14
		संग्रहण मजदूरी 375/- प्रति क्विंटल	18393750.00

परिशिष्ट - 'छ'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2008-2009 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	5.600	0.660	6.260	16100	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	100786.00	93875.60
2	नारायणपुर	50.000	75.000	0.000	75.000	15900	अग्रिम	मेसर्स रोहित हुकुमचन्द गुप्ता	1192500.00	1159500.00
3	सुकमा	250.000	155.530	0.000	155.530	15500	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	2410715.00	2404493.80
4	बीजापुर	250.000	490.000	0.000	490.000	16500	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	8085000.00	7575400.00
5	दंतेवाडा	100.000	137.400	0.000	137.400	16100	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	2212140.00	2124204.00
योग			863.530	0.660	864.190				14001141.00	13357473.40

गोंद की अनुमानित मात्रा	864.190
विक्रित मात्रा	864.190
अविक्रित मात्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	14001141.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	16201.46
कुल व्यय 15460/- एवं 11060/- प्रति क्विंटल	13357473.40
शुद्ध लाभ	643667.60
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	744.82
संग्रहण मजदूरी 15400/- एवं 11000/- प्रति क्विंटल	13305622.00

परिशिष्ट - 'ज'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2009-2010 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	18100.00	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	543000	466500
2	नारायणपुर	30.000	26300.00	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	789000	466500
3	सुकमा	250.000	17171.00	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	4292750	3887500
4	बीजापुर	250.000	17523.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	4380750	3887500
5	दंतेवाडा	200.000	17511.00	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	3502200	3110000
	योग	760.000				13507700	11818000

गोंद की अनुमानित मात्रा	760.000
विक्रित मात्रा	760.000
अविक्रित मात्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	13507700.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	17773.29
कुल व्यय 17050/- एवं 11050/- प्रति क्विंटल	11818000.00
शुद्ध लाभ	1689700.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	2223.29
संग्रहण मजदूरी 17000/- एवं 11000/- प्रति क्विंटल	11780000.00

परिशिष्ट - 'झ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2008-2009 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			धावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बबूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)					
1	सरगुजा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
4	धर्मजयगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
5	पेन्ड्रा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
6	धमतरी	125.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
7	महासमुंद	350.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
10	उदन्ती	20.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
11	दुर्ग	100.000	0.000	60.000	36.000	3000	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	108000.00	102600.00
12	कवर्धा	20.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
13	खैरागढ़	25.000	0.000	25.000	0.000	2800	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	42000.00	42750.00
14	राजनांदगांव	150.000	0.000	200.000	120.000	2800	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	336000.00	342000.00
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	300.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
16	नारायणपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
17	जगदलपुर	10.000	5.000	0.000	5.000	3500	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	17500.00	14050.00
18	बीजापुर	50.000	140.000	50.000	170.000	3100	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	527000.00	478900.00
19	सुकमा	100.000	निरंक	निरंक	निरंक	2950	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	निरंक	निरंक
20	बिलासपुर	50.000	50.000	15.000	59.000	2800	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	165200.00	166150.00
21	जांजगीर-चांपा	50.000	0.000	15.000	9.000	2800	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	25200.00	25650.00
योग		1660.000	195.000	365.000	399.000				1220900.00	1172100.00

	धावड़ा	खैर/बबूल	
गोंद की संग्रहित मात्रा	195.000	365.000	560.000
विक्रित गोंद	195.000	365.000	560.000
अविक्रित गोंद	0.000	0.000	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	1220900.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	3059.90
कुल व्यय 2810/- एवं 1710/- प्रति क्विंटल	1172100.00
शुद्ध लाभ	48800.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	122.31
संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति क्विंटल	1138500.00

परिशिष्ट - 'अ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2009-2010 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	सरगुजा	10	0				
2	कोरिया	10	0				
3	रायगढ़	50	0				
4	धर्मजयगढ़	10	0				
5	पेन्ड्रा	10	0				
6	धमतरी	10	0				
7	महासमुंद	50	0				
8	रायपुर	50	3787	अग्रिम	मेसर्स एच.एम.आर.हर्ब्स	189350	107000
9	पूर्व रायपुर	50	0				
10	उदन्ती	10	0				
11	दुर्ग	100	3486	अग्रिम	श्री मोहम्मद जब्बार तिगाला	348600	214000
12	कवर्धा	10	2880	अग्रिम	मेसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी	28800	21400
13	खैरागढ़	25	3000	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	75000	53500
14	राजनांदगांव	150	3000	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	450000	321000
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100	3300	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	330000	214000
16	नारायणपुर	50	9008	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	450400	107000
17	जगदलपुर	10	5500	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	55000	21400
18	बीजापुर	50	4150	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	207500	107000
19	सुकमा	100	3550	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	355000	214000
20	बिलासपुर	50	2800	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	140000	107000
21	जांजगीर-चांपा	50	0				
		955				2629650	1487300

अनुमानित गोंद	955.000
विक्रित गोंद	695.000
अविक्रित गोंद	260.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	2629650.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	3783.67
कुल व्यय 2800/- एवं 1700/- प्रति क्विंटल	1487300.00
शुद्ध लाभ	1142350.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	1643.67
संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति क्विंटल	1995950.00

परिशिष्ट - 'ट-1'

संग्रहण वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2007		
		जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 70)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	559.26	559.26	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	177.40	177.40	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	355.29	355.29	0.00
4	कोरिया	269.49	269.49	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	278.99	279.00	-0.01
6	जशपुरनगर	74.65	74.65	0.00
7	धरमजयगढ़	670.78	670.78	0.00
8	रायगढ़	366.34	366.34	0.00
9	मरवाही	238.23	226.45	11.78
10	कटघोरा	858.39	858.39	0.00
11	कोरबा	565.88	546.78	19.11
12	जांजगीर चांपा	1.67	1.67	0.00
13	बिलासपुर	95.18	95.18	0.00
14	महासमुन्द	994.03	994.03	0.00
15	रायपुर	260.85	260.85	0.00
16	धमतरी	344.51	344.51	0.00
17	पूर्व रायपुर	752.57	752.57	0.00
18	उदन्ती	240.85	240.85	0.00
19	कांकेर	341.79	341.79	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	223.54	202.05	21.49
21	दक्षिण कोण्डागांव	145.09	114.86	30.23
22	नारायणपुर	77.74	77.74	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	1003.41	992.74	10.68
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	357.48	357.48	0.00
25	सुकमा	370.18	229.69	140.49
26	बीजापुर	325.21	325.21	0.00
27	जगदलपुर	106.54	106.54	0.00
28	दंतेवाड़ा	68.40	68.40	0.00
29	दुर्ग	256.47	251.71	4.77
30	कवर्धा	290.52	290.52	0.00
31	राजनांदगांव	631.40	631.40	0.00
32	खैरागढ़	258.45	258.45	0.00
योग		11560.60	11322.07	238.53

परिशिष्ट - 'ट-2'

संग्रहण वर्ष 2008 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण हेतु उपलब्ध राशि

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2008 हेतु जिला यूनियनों को वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि (रू. लाख में)
1	2	3
1	उत्तर सरगुजा	272.04
2	पूर्वी सरगुजा	91.23
3	मनेन्द्रगढ़	142.69
4	कोरिया	139.94
5	दक्षिण सरगुजा	182.71
6	जशपुरनगर	59.19
7	धरमजयगढ़	544.49
8	रायगढ़	212.31
9	मरवाही	112.54
10	कटघोरा	531.69
11	कोरबा	364.48
12	जांजगीर चांपा	3.92
13	बिलासपुर	0.00
14	महासमुन्द	478.33
15	रायपुर	137.72
16	धमतरी	191.68
17	पूर्व रायपुर	514.42
18	उदन्ती	135.53
19	कांकेर	216.29
20	उत्तर कोण्डागांव	89.02
21	दक्षिण कोण्डागांव	43.15
22	नारायणपुर	37.11
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	628.36
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	241.36
25	सुकमा	0.00
26	बीजापुर	216.59
27	जगदलपुर	55.76
28	दंतेवाड़ा	41.77
29	दुर्ग	133.49
30	कवर्धा	101.29
31	राजनांदगांव	363.09
32	खैरागढ़	113.02
योग		6395.22

परिशिष्ट - 'ठ'

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1999+2000 से 2007 तक उपलब्ध राशि

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1999+2000 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	233.14	104.25	128.89
2	पूर्वी सरगुजा	59.55	18.34	41.21
3	मनेन्द्रगढ़	205.86	197.88	7.98
4	कोरिया	178.73	111.25	67.48
5	दक्षिण सरगुजा	91.81	59.35	32.46
6	जशपुरनगर	46.51	38.31	8.20
7	धरमजयगढ़	447.95	231.54	216.41
8	रायगढ़	250.07	147.75	102.32
9	मरवाही	121.70	114.37	7.34
10	कटघोरा	517.36	353.33	164.03
11	कोरबा	409.14	217.79	191.35
12	जांजगीर चांपा	2.60	2.47	0.13
13	बिलासपुर	31.51	17.90	13.60
14	महासमुन्द	530.22	374.22	156.00
15	रायपुर	213.77	134.54	79.23
16	धमतरी	267.98	95.69	172.29
17	पूर्व रायपुर	597.46	574.39	23.07
18	उदन्ती	148.61	64.45	84.16
19	कांकेर	278.41	130.67	147.73
20	उत्तर कोण्डागांव	108.62	66.50	42.13
21	दक्षिण कोण्डागांव	87.44	58.70	28.74
22	नारायणपुर	54.30	34.66	19.64
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	628.58	359.40	269.18
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	216.22	118.28	97.94
25	सुकमा	344.38	158.67	185.71
26	बीजापुर	372.61	233.30	139.31
27	जगदलपुर	67.17	39.15	28.03
28	दंतेवाड़ा	76.49	29.74	46.75
29	दुर्ग	135.35	51.86	83.49
30	कवर्धा	128.95	46.07	82.88
31	राजनांदगांव	419.90	182.18	237.72
32	खैरागढ़	151.78	58.51	93.27
योग		7424.20	4425.52	2998.68

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु जिला यूनियनवार जानकारी

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15)	जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	38.09
2	पूर्वी सरगुजा	84.25	16.85
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	25.06
4	कोरिया	122.59	24.52
5	दक्षिण सरगुजा	81.31	16.26
6	जशपुरनगर	59.65	11.93
7	धरमजयगढ़	329.55	66.00
8	रायगढ़	197.46	39.49
9	मरवाही	96.11	19.22
10	कटघोरा	338.20	194.39
11	कोरबा	291.64	58.33
12	जांजगीर चांपा	4.17	0.83
13	बिलासपुर	13.27	2.65
14	महासमुन्द	319.58	63.92
15	रायपुर	147.10	95.42
16	धमतरी	194.69	38.94
17	पूर्व रायपुर	423.70	84.74
18	उदन्ती	80.70	16.14
19	कांकेर	193.15	101.03
20	उत्तर कोण्डागांव	135.29	75.74
21	दक्षिण कोण्डागांव	125.46	25.09
22	नारायणपुर	42.24	21.95
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	88.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	148.37	82.02
25	सुकमा	303.23	60.65
26	बीजापुर	325.62	125.00
27	जगदलपुर	88.58	57.72
28	दंतेवाड़ा	75.63	15.13
29	दुर्ग	95.39	19.08
30	कवर्धा	76.47	15.29
31	राजनांदगांव	319.89	63.98
32	खैरागढ़	103.31	20.66
योग		5546.92	1584.11

परिशिष्ट-'ढ'

वर्ष 2009 में महिला चरणपादुका प्राप्ति व वितरण की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई चरणपादुकाओं की संख्या	वितरित चरणपादुकाओं की संख्या	वितरण हेतु शेष चरणपादुकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	26523	26523	0
2	मनेन्द्रगढ़	24518	24518	0
3	जशपुरनगर	56469	56469	0
4	उत्तर सरगुजा	68386	68386	0
5	दक्षिण सरगुजा	55165	55165	0
6	पूर्व सरगुजा	59287	59287	0
7	बिलासपुर	18676	11600	7076
8	मरवाही	27702	27702	0
9	कटघोरा	64513	64513	0
10	कोरबा	39700	39700	0
11	जांजगीर-चांपा	11717	0	11717
12	रायगढ़	53989	53989	0
13	धरमजयगढ़	50845	50845	0
14	रायपुर	27361	0	27361
15	पूर्व रायपुर	42506	0	42506
16	उदन्ती	26713	7910	18803
17	धमतरी	29845	21608	8237
18	महासमुंद	115408	115408	0
19	दुर्ग	30285	29228	756
20	राजनांदगांव	59500	59500	0
21	खैरागढ़	23568	23568	0
22	कवर्धा	32591	32591	0
23	कांकेर	39371	39371	0
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	34385	34385	0
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	29197	0	29197
26	नारायणपुर	15982	8063	8012
27	दक्षिण कोण्डागांव	43591	0	43591
28	उत्तर कोण्डागांव	40486	34624	3975
29	जगदलपुर	55676	55676	0
30	दंतेवाड़ा	25444	25444	0
31	बीजापुर	36291	14388	21903
32	सुकमा	55921	28539	27382
योग		1321611	1069000	250516

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में जो भी रिक्त पद होगें उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) जिला वनोपज जिला वनोपज के संचालक सदस्यों एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों का सहकारी प्रशिक्षण ।

संघ के संचालक मण्डल की 38 वीं बैठक दिनांक 30.12.2009 के पारित प्रस्तावित क्रमांक 38:10 संघ की समस्त जिला वनोपज सहकारी यूनियन के निर्वाचित संचालक सदस्यों एवं सभी प्राथामिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षो को सहकारिता के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु विभिन्न चरणो में राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसके प्रथम चरण में 10 जिला यूनियन के 50 निर्वाचित संचालको को वन विद्यालय महासमुन्द एवं जगदलपुर में सहकारी प्रशिक्षण फरवरी 2010 में दिया गया ।जिला यूनियन के संचालक सदस्यों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों को इस वित्तीय वर्ष में सहकारिता के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

(iii) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2009 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2010 तेंदू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु 899 प्राथमिक सहकारी समितियों के तेंदू पत्ते के कुल 931 लाट बनाये गये । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2010 में उत्पादित होने वाले तेन्दूपत्ते को विक्रय हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2010 में लगभग 16.39 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 16.39 लाख मानक बोरा रू. 357.67 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 2182/- प्रति मानक बोरा है । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2010-11 में लगभग राशि रु. 321.90 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 106.54 करोड़ की मजदूरी के वितरण का अनुमान है । तेंदूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका हैं । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाऐं ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण प्रारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2011 के अग्रिम निर्वतन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर' 2010 से प्रारंभ किया जाना है ।

(iv) सालबीज का व्यापार

सालबीज संग्रहण वर्ष 2009 के क्रेताओं द्वारा सालबीज का परिदान नहीं लिये जाने के कारण पुनः लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

संग्रहण वर्ष 2010 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2009 की भांति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रुप में किया जावेगा । वर्ष 2010 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है ।

(v) हर्रा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2009-10 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है । इन इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु वर्ष 2009-10 में 6 बार निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है, जिसमें से 21 इकाईयों की अनुमानित 42400 क्विंटल मात्रा का निर्वर्तन हो चुका है । शेष अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित हर्रा, कचरिया के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी तथा अन्तिम रुप से अनिवर्तित इकाइयों में विभागीय संग्रहण कर भंडारित हर्रा का निवर्तन किया जावेगा ।

संग्रहण वर्ष 2010-11 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vi) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2009-10 सीजन में कुल्लू गोंद, जिसका संभावित उत्पादन लगभग 760 क्विंटल है, का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया गया है । सभी 5 इकाईयों का निर्वतन किया जा चुका है । गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की संग्रहण दर प्रथम श्रेणी के लिये रू. 17000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 11000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है । अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 117.80 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है । विगत वर्षों में सम्पूर्ण कुल्लू गोंद का अग्रिम निर्वतन होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तथा संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है ।

संग्रहण वर्ष 2010-11 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2009-10 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 955 क्विंटल है । विगत वर्ष अनुसार ही गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है । गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1650/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2750/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । इनमें से 11 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 695 क्विंटल का अग्रिम में निर्वर्तन हुआ है, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 26.30 लाख है । शेष 10 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 260 क्विंटल के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही अथवा इन लाट में संग्रहित एवं भंडारित गोंद के निवर्तन की कार्यवाही की जावेगी । अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 19.96 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2010-11 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(viii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य, जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, को समूह बीमा योजना का लाभ इस वर्ष भी प्राप्त होगा ।

(ix) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की ''जनश्री'' बीमा योजना इस वर्ष भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे । इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी इस वर्ष प्राप्त होगा ।

(x) वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से संबंधित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की शेष राशि का वितरण किया जावेगा तथा वर्ष 2009 में तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान हैं । यह राशि लगभग रूपये 162.08 करोड़ होगी ।

(xi) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999 से 2007 तक की राशि रु. 74.24 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को

उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिनके विरुद्ध अभी तक रु. 44.26 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रु. 29.98 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष कराये जावेंगे ।

(xii) वन एवं वनोपज का विकास

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे । इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रु. 39.63 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जावेगी ।

(xiii) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

(xiv) चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2010-11 में चरणपादुका प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से चरणपादुका प्राप्त कर लगभग 13.741 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक पुरूष सदस्य को एक-एक जोड़ी चरणपादुका वितरित किया जावेगा, तथा शासन की स्वीकृति उपरांत वर्ष 2011-12 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं के क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

(xv) यू.एन.डी.पी. परियोजना मे उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित जैव विविधता संवर्धन तथा रोजगार सृजन करने हेतु प्रारंभ की गयी योजना के तृतीय

वर्ष 2010-11 में वन औषधालयों की स्थापना, ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण, अनुसंधान व विस्तार, हर्बेरियम निर्माण, गैर वानिकी जैव विविधतता संरक्षण, माईक्रोइंटरप्राईजेस संचालन आदि जैसे कार्य किये जायेंगे ।

(xvi) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2009-10 हेतु रूपये 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी । इस योजना हेतु रू. 87.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है । उक्त राशि से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण का कार्य कराया जावेगा ।

(xvii) आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख प्राप्त हुआ है । इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता

प्रसंस्करण, ईमली प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण, फार्मेसी स्थापना तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना आदि कार्य किये जा रहे हैं ।

(xviii) रू. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्र सहायता

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रू. 32 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु पूरक बजट में प्राप्त हुई है । छत्तीसगढ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग रू. 700/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परंतु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है । इस राशि से आंवला, इमली, लाख, तैलीय बीज, चिरौंजी, बेल, माहुल पत्ता तथा वनौषधि आदि की बड़ी प्रसंस्करण इकाईया की स्थापना की जावेगी । इससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा छ.ग. में उत्पादित कच्ची लघु वनोपजों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे कि लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित होंगें । इसके अंतर्गत 6 क्लस्टर चयनित कर उनका विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व छत्तीसगढ़ तकनीकी सलाहकार संस्थान (CITCON) को सौंपा गया है ।

लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि - वर्ष 2009-10 में

अ.क.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	209.66
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	100.00
3.	लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त अनुदान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3200.00
4.	महुआ फूल संग्रहण एवं भंडारण हेतु आदिम जाति कल्याण मंत्रालय (TRIFED), भारत शासन से प्राप्त राशि ।	20.00

(xix) महुआ फूल संग्रहण एवं भंडारण योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ फूल का उत्पाद बहुतायत में होता है । इसका उपयोग मुख्यतः खाद्य के रूप में किया जाता है । इससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती हैं । इस संदर्भ में बिचौलियों के कारण ग्रामीणों को महुआ फूल विक्रय से सही मूल्य प्राप्त नही हो रहा है । राज्य में महुआ फूल के बहुतायत उत्पादन को देखते हुए ग्रामीणों को अतिरिक्त आय रोजगार प्रदाय करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा ट्राईफेड के सहयोग से महुआ फूल वैज्ञानिक विधि से संग्रहण एवं भंडारण के परियोजना प्रारम्भ की गई है, ताकि ग्रामीणों को महुआ फूल का सही मूल्य प्राप्त हो सके ।

महुआ फूल	**संग्रहण**

(xx) लाख विकास योजना :

लाख विकास येाजना हेतु राज्य शासन से बजट मद, (6854) लाख विकास योजना में प्राप्त हाने वाली राशि रू. 200.00 लाख से , लाख पालन एवं लाख प्रसंस्करण परियोजना को बढ़ावा दिया जावेगा ।

(xxi) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :

राज्य के वर्ष 2010-11 में चयनित जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाकर संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य औषधि प्रजातियाँ चिन्हांकित कर विनाशविहीन विदोहन प्रक्रिया द्वारा उनका संग्रहण किये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा । इस हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को चक्रीय राशि संबंधित समिति विकास निधि से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किये जावेंगे । विगत वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रखरखाव का कार्य किया जायेगा ।

(xxii) आदर्श उपविधियों (बायलांज में संशोधन)

संघ के संचालक मण्डल की 30 वीं बैठक दिनांक 12.02.2008 से पारित संकल्प क्रमांक 30:27 अनुसार वनोपज के तीनों स्तर की प्रस्तावित उपविधियां का प्रारूप संघ की बेवसाईट में प्रदर्शित कर सुझाव आमंत्रित किये गये थे । प्रबंध संचालक जिला यूनियन दुर्ग कार्यालय से प्राप्त पत्र में लेख किया गया था कि प्रस्तावित उपविधियों में कोई भी सुझाव दिया जाना परिलक्षित नही होता है । तीनों स्तर की संस्थाओं की प्रस्तावित आदर्श उप विधियों में संशोधन हेतु पुनः सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, ताकि प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम रूप दिया जा सके ।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2010-11 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेंदूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2010	16.39	लाख मा.बो.	950.00 प्रति मा.बोरा	15570.50
2.	सालबीज	2010	40000.00	टन	10140.00 प्रति टन	4056.00
3.	हर्रा	2009-10	693.00	टन (अग्रिम)	3775.00 प्रति टन	46.26
			462.00	टन (विभागीय)	4350.00 प्रति टन	
		2010-11	2207.25	टन (अग्रिम)	3775.00 प्रति टन	147.33
			1471.50	टन (विभागीय)	4350.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2009-10	28.00	टन (श्रेणी-I)	170500.00 प्रति टन	47.74
		2010-11	39.90	टन (श्रेणी-I)	170500.00 प्रति टन	82.73
			13.30	टन (श्रेणी-II)	110500.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2009-10	15.28	टन (धावड़ा)	28440.00 प्रति टन	8.35
			22.92	टन (खैर/बबूल)	17440.00 प्रति टन	
		2010-11	22.92	टन (अग्रिम)	28100.00 प्रति टन	16.22
			34.38	टन (विभागीय)	28440.00 प्रति टन	
योग						**19975.13**

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	500.00
2.	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	75.79
3.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
4.	लाख विकास योजना	200.00
5.	पी.पी.ए. सरकार मद	240.00
6.	पी.पी.ए.संघ मद	299.70
7.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
8.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1000.00
9.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	470.00
योग		**3359.49**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2009-10 का बजट अनुमान	दिनांक 31.01.2010 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2009-10 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2010-11 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	200.00	175.15	210.18	250.00
2.	चिकित्सा व्यय	13.00	8.97	10.76	15.00
3.	यात्रा भत्ता	10.00	5.93	7.11	12.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	23.80	29.30	35.22	40.00
5.	ग्रेज्युटी(उपादान)	91.00	0.00	119.00	140.00
6.	बोनस	1.00	0.00	0.55	1.00
7.	लेखन सामग्री छपाई	15.00	6.63	7.96	10.00
8.	पोस्टेज/टेलीफोन	8.00	5.91	7.10	10.00
9.	भवन किराया /बिजली	20.00	19.26	23.11	30.00
10.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	20.00	17.28	20.74	25.00
11.	संचालक मंडल तथा आमसभा	4.00	0.64	3.50	5.00
12.	वाहन व्यय	19.00	10.76	12.92	15.00
13.	प्रशिक्षण	10.00	0.00	6.00	28.00
14.	विविध आकस्मिक	27.00	6.77	20.00	20.00
15.	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	3.50	0.00	0.00	0.00
16.	चुनाव व्यय	10.00	0.00	0.00	0.00
17.	अंकेक्षण शुल्क	20.00	1.44	30.00	30.00
18.	न्यायालयीन व्यय	4.00	1.01	1.50	4.00
19.	घसारा	300.00	0.00	174.00	200.00
20.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	100.00	43.61	44.00	30.00
योग :-		**899.30**	**332.66**	**733.65**	**865.00**

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	150.00	63.02	68.50	150.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	175.00	174.43	174.43	175.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	0.00	0.00	5.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	40.00	0.00	32.00	40.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	30.00	3.39	5.00	15.00
योग :-		**400.00**	**240.84**	**279.93**	**385.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2010-11 में वनोपज की बिक्री से रू. 42460.357 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेंदूपत्ता	35497.322
2.	सालबीज	6636.50
3.	हर्रा	170.499
4.	कुल्लू गोंद	127.286
5.	धावड़ा,गोंद	28.750
	योग	**42460.357**

वनोपजवार आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	**तेंदूपत्ता**	
1.	वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ते के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण 0.16 लाख मानक बोरा के पुनः विक्रय से प्राप्त आय	32.640
2.	वर्ष 2010 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.39 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.39 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2182/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	32186.682
3.	वर्ष 2011 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.39 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	3278.000
	योग	**35497.322**
(ब)	**सालबीज**	
1.	वर्ष 2009 के सालबीज के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण 4.97 लाख क्विंटल सालबीज के पुनः विक्रय से प्राप्त आय	2236.50
2.	वर्ष 2010 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रू. 11000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	4400.00
	योग :-	**6636.50**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(स)	**हर्रा**	
1.	वर्ष 2007-08 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 31.62 टन के रु. 1500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.474
2.	वर्ष 2008-09 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 1.293 टन के रु. 3000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.039
3. क.	वर्ष 2009-10 की माह जनवरी 2010 में विक्रीत अधिसूचित मात्रा 350.00 टन के विक्रय मूल्य रु. 13.98 लाख का 90% राशि ।	5.592
ख.	वर्ष 2009-10 संग्रहित होने वाली मात्रा 665 टन जो संग्रहित होगी के लिये रू. 3810/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	25.337
4.	वर्ष 2010-11 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 4905 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 4200/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	139.057
	योग :-	**170.499**
(द)	**कुल्लू गोंद**	
1.	वर्ष 2009-10 सीजन की वर्ष 2010-11 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 30.4 टन के रू. 177730/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	54.030
2.	वर्ष 2010-11 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 76 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 178500/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	73.256
	योग :-	**127.286**
(इ)	**धावड़ा, गोंद**	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 3000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.004
2.	वर्ष 2009-10 सीजन की वर्ष 2010-11 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 38.2 टन के रू. 28000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	10.696

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
3.	वर्ष 2010-11 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 95.5 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 35000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	18.050
	योग :-	**28.750**
	महायोग आय :-	**42460.357**

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	1000.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	96.39
	योग :-	**1096.39**

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	500.00
2.	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	75.79
3.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
4.	लाख विकास योजना	200.00
5.	पी.पी.ए. सरकार मद	240.00
6.	पी.पी.ए.संघ मद	299.70
7.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
8.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1000.00
9.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	470.00
	योग	**3359.49**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण रूपये 0.16 लाख मानक बोरा अवशेष तेंदूपत्ता	32.640
2.	सालबीज	2236.50
3.	हर्रा	31.442
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	54.030
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	10.700
	योग :-	**2365.312**

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	15.451
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	8.140
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	2.006
	योग	**25.597**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	42460.357
2.	विविध आय	1096.390
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	3359.49
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	25.597
	महायोग	**46941.834**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	19975.13
2.	कार्यालयीन व्यय	865.00
3.	पूंजीगत व्यय	385.00
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	3359.49
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	2365.312
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	19895.512
	महायोग	**46845.444**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	**46941.834**
कुल व्यय	**46845.444**
संघ का शुद्ध लाभ	**96.390**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

निर्वाचित संचालक

- ❖ माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री एस.एस.बट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्रीमती ब्रम्हनी चन्द्राकर, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री आर.एन.पाण्डे, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

नामांकित संचालक

- ❖ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

पदेन संचालक

- ❖ छ.ग. शासन के निर्देश पर भारत शासन के नामांकित अधिकारीगण
- ❖ प्रभारी सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि
- ❖ पंजीयक सहकारी संस्थाऐं या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो
- ❖ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित
- ❖ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
- ❖ अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री ए.के.सिंह (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार)	मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री आर.सी.रैगर (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक (स्था/विकास)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री अनूप श्रीवास्तव (भा.व.से.)	महाप्रबंधक -1 (टास्क फोर्स)	वन संरक्षक
5.	श्री देवेन्द्र सिंह (भा.व.से.)	महाप्रबंधक -2 (टास्क फोर्स)	वन संरक्षक
6.	श्री सी.एस.तिवारी (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक/ सचिव	उप वन संरक्षक
7.	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	-
8.	श्री यू.बी.एस.राठिया	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
9.	श्री सी.एल.ठाकुर	उप प्रबंधक (लेखा)	सहायक पंजीयक
10.	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन सरंक्षक
11.	श्री आलोक ऋषि	उप प्रबंधक (कार्यदल)	सहायक वन संरक्षक
12.	श्री एस.के.सरीन	सहायक लेखा अधिकारी	अंकेक्षण अधिकारी, सह. समितियां
13.	श्री के.के.धनगर	स्टाफ ऑफिसर	-

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधि

क्र.	जिला यूनियन का नाम	नाम	पद	पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
					कार्यालय	निवास
1.	रायपुर	श्री जयलाल डडसेना	अध्यक्ष	मु.पो.रिकोकला, व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	2427640	93018-11955
		श्री बलभद्र सिंह ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	2427640	93290-64321
2.	पूर्व रायपुर	श्री रज्जन लाल खरे	अध्यक्ष	ग्राम बि.नवागढ़, पो.आ. एवं तह.बि.नवागढ़, जिला रायपुर (छ.ग.)	2432095	-
		श्री रामनारायण	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर	2432095	--
3.	उदन्ती (गरियाबंद)	श्री नरोत्तम साहू	अध्यक्ष	ग्राम बोईरगांव, पो.व तह. मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241407	94060-48400
		श्री पुनीत राम सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम छैलडोंगरी, पोस्ट गोहरापादर, तहसील मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241407	99375-35652 97701-18237
4.	महासमुंद	श्री हितेश चन्द्राकर	अध्यक्ष	ग्राम + पो. खुसरूपाली, जिला-महासमुंद	07723-222084	9424205204
		श्री रविशंकर गोड़	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डोंगरीपाली पोस्ट छोटे लोरम जिला महासमुंद	07723-222084	9754938307
5.	धमतरी	श्री अखिलेश प्रजापति	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट गट्टासिल्ली	07722-238371	9406201354
		श्री आलोक सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट नगरी	07722-238371	
6.	बिलासपुर	श्री नंदलाल चेचाम	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खुड़िया, जिला रायगढ़	07752-26082	9179127907
		श्री तीजम सिंह मरावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ठरकपुर, पोस्ट खम्हरिया जिला बिलासपुर	07752-26082	9754239341
7.	मरवाही	श्री जयराम सिंह	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट मझगंवा, जिला बिलासपुर	07751-297075	
		श्री दयाल सिंह यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर	9700561528	
8.	रायगढ़	श्री नृपत सिंह राठिया	अध्यक्ष	ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा	07762-224426 226047 फैक्स	9301777396

		श्री नृपत सिंह राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा	07762-224426	9301777396
9.	धरमजयगढ़	श्री संतराम राठिया	अध्यक्ष	ग्राम कमरई, पोस्ट सुक्कालो, तहसील लैलूंगा, जिला रागयढ़	07766-266231 266729	9752323021
		श्रीमती मनकुवंर राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयढ़	07766-266231 266729	07762-246058 9329707482
10.	कटघोरा	-------	अध्यक्ष			
		श्री अक्षय कुमार अग्रवाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतर्रा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा	07815-250157 250018 (फैक्स)	
11.	कोरबा	श्री चमार सिंह	अध्यक्ष	ग्रा.पो. केरवांद्वारी, कोरबा	07759-223531 221273	
		श्री उधोराम कश्यम	संघ प्रतिनिधि	मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा	07759-223531 221273	9009939738
12.	जाजगीर-चांपा	श्री जागेश्वरसिंह राज	अध्यक्ष	मुकाम पोस्ट देवरमाल, तह.जिला जॉजगीर-चांपा	07819-24 4622	9329508924
		श्री चुन्नीलाल साहू	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट खिसोरा, जिला जॉजगीर- चॉपा		9981172172
13.	दुर्ग	श्री यज्ञदत्त शर्मा	अध्यक्ष	ग्राम आमापारा, तह. बालोद, जिला दुर्ग	0788-2210268	9425561062
		श्री गंगाराम ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग	0788-2210268	--
14.	राजनांदगांव	श्री शत्रुधन सिंह टेकाम	अध्यक्ष	ग्राम बोरियामुकासा, पो. खड़गांव, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव	07744-225059 224802	--
		श्रीमती ब्रम्हानी चंद्राकर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम अछोली, पोस्ट आमगांव, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव	07744-225059 224802	99932-93118, 07745-256050
15.	खैरागढ़	श्री मोतीराम उईके	अध्यक्ष/ संघ प्रतिनिधि	ग्राम खमपुरा, पो. बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	07820-234278	9754420366
16.	कवर्धा	श्री सुदर्शन साहू	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खैरबना, तह.कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232328	94241-30730
		श्री पंचराम ध्रुर्वे	संघ प्रतिनिधि	ग्रम व पोस्ट कुकदुर, तह.कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232328	9407653051

17.	जगदलपुर	श्री रामनाथ भारती	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट घोटिया	07782-223390	94063-61885
		श्री केदारनाथ साहनी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम माड़पाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर	07782-223390	9009836208
18.	दन्तेवाड़ा	श्री चैतराम अटामी	अध्यक्ष	ग्राम कसोली छिंदनार, तह.गीदम जिला दंतेवाड़ा	07856-252228	9406075256
		श्री सुकमन सोढ़ी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डारापार, तह.भैरंगढ़, जिला बीजापुर	07856-252228	
19.	सुकमा	श्री करटम देवा	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट पोलमपल्ली, तह.कोंटा, जिला द.ब. दंतेवाड़ा	07864-284209	94077-08736
		श्री कवासी रमेश	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला.द.ब. दंतेवाड़ा	07864-284209	
20.	बीजापुर	श्री कुवरसिंह भज्जी	अध्यक्ष	ग्राम. केरपे, पो.करकेली, तह. भोपालपटनम, जिला बीजापुर	07853-220236	9407644405
		श्री नीलम गनपत	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-गुलापेंट्रा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि. -बीजापुर	07853-220236	9424298885
21.	कांकेर	श्री विजय मण्डावी	अध्यक्ष	ग्राम+पो.उड़कुड़ा, तह. चारामा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07868-222006	
		श्री सग्गे सिंह वट्टी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट धनसेरा, तह.नरहरपुर, जिला उ.ब. कांकेर	07868-222006	
22.	दक्षिण कोंडागांव	श्री तोलूराम शोरी	अध्यक्ष	ग्राम करमरी, पो.आ. जोड़ेकेरा, तह. कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)	07786-243402	
		श्री सुकदास शार्दुल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव जिला बस्तर	07786-243402	
23.	उत्तर कोंडागांव	श्री हरिराम नाग	अध्यक्ष	ग्राम बेलगांव, पोस्ट धनोरा, तह.केशकाल, जिला बस्तर	07786-242234	9179574460
		श्री हेमंत शांडिल्य	संघ प्रतिनिधि	ग्राम सुरडोंगर, पोस्ट तह. केशकाल, जिला बस्तर	07786-242234	
24.	नारायणपुर	श्री मैनुराम कुमैठी	अध्यक्ष	ग्राम-माहका, पोस्ट बिजली, जिला नारायणपुर	252253 252228	9424276987
		श्री प्रेमलाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बेनूरू, पोस्ट बैनूर, जिला नारायणपुर	252253 252228	9406284843

25.	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री सोमारू राम कुरेटी	अध्यक्ष	ग्राम माटपल्ली, पोस्ट संगम, तह.पंखाजुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850-252242 07850-252367	9406283725
		श्री दिवाकर बैरागी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पी.व्ही.39 पोस्ट पी. व्ही.38 तह.पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850-252242 07850-252367	9407639895
26.	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री रघुनाथ कुमेटी	अध्यक्ष	ग्राम-तहकाल, पो एवं तह. अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07850-252223 252242 (फैक्स)	
		श्री टीकम टांडिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तरकांकेर,	07850-252223 252242 (फैक्स)	
27.	उत्तर सरगुजा	श्री सिंगाचंद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-मायापुर, पो.-चन्दौरा, तह. प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-240339 241543	
		श्री कृष्ण मुरारी यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गाजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा	07774-240339 241543	
28.	दक्षिण सरगुजा	श्री संतोष सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-सेंधोपारा (चन्द्रमेढ़ा) जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-241600 240400 (फैक्स)	
		श्री मुरारीलाल सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट डेंडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा	07774-241600 240400 (फैक्स)	
29.	पूर्व सरगुजा	श्री हरिकिशुन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-पहारपारा, पोस्ट-परसा, जिला सरगुजा (छ.ग.)	240408	
		श्री करमदेव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा	240408	
30.	कोरिया	श्री रामनाथ सिंह कंवर	अध्यक्ष	ग्राम सरभोका, पोस्ट कुडेली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-233564	9754123667
		श्री रूपनारायण पाण्डेय	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुड़ीझरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-233564	9424253575
31.	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती इरावती वेक	अध्यक्ष	ग्राम मनवारी पो. केल्हारी तह. मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	07771-241349	9098145794

		श्री रामराज सिंग	संघ प्रतिनिधि	ग्राम चरखर पो. सिंगरौली तह. भरतपुर जिला कोरिया	07771-241349	9407707888
32.	जशपुरनगर	श्री बजरंग राम ध्रुव	अध्यक्ष	ग्राम बरपानी, पोस्ट लुड़ेग, तह.पत्थलगांव, जिला जशपुर	07763-223224	9893004129
		श्री रामस्वरूप यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम खैरापाठ, पोस्ट कामरिया, तह.बगीचा, जिला जशपुर	07763-223224	9406127395